केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(प्रतिवेदन क्रमांक–418)

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह का मूल्यांकन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	I - VI
प्रथम	मूल्यांकन संरचना	1–3
द्वितीय	प्रगति की समीक्षा	4–10
तृतीय	परिणाम परिदृश्य	11–33
चतुर्थ	समस्याएँ एवं अनुशंषाएँ	32–38

*****

उद्‌बोधन

राज्य के नगरीय क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के आर्थिक उन्नयन हेतु "स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार" योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम महिलाओं में जागरूकता एवं उनको आत्मनिर्भर बनाने हेतु संचालित है। शहरी क्षेत्र में संचालित स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2004–05 तक कुल 998 गठित समूह की संग्रहित अल्प बचत राशि रूपये 30.11 लाख बैंकों में जमा करायी गयी। "स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार" योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम की प्रगति के आकलन हेतु राज्य मूल्यांकन संगठन द्वारा इसका मूल्यांकन किया गया है।

अध्ययन प्रतिवेदन से परिलक्षित होता है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों द्वारा समूह गठन किये जा रहे हैं। समूह में औसतन 12 सदस्य हैं। सदस्यों द्वारा छोटी–छोटी राशि की बचत की जाकर बैंक में बचत राशि जमा करायी जा रही है, परन्तु इकाई कम संस्थापित होने से बैंक से कम ऋण लिया जा रहा है। समूह के सदस्यों पर प्राप्त ऋण से रहन–सहन एवं आय में आशातीत वृद्धि नहीं हुई है। प्रतिवेदन में कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने हेतु यथेष्ठ सुझाव दिये गये हैं। आशा है सुझावों की क्रियान्विति से कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

तिथि : अक्टूबर,2007
स्थान : जयपुर

(वी. श्रीनिवास)
शासन सचिव, आयोजना

आमुख

स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा अल्प राशि की बचत की जाकर बैंक में जमा की जाती है। एक वर्ष तक सफलता पूर्वक राशि बैंक में जमा करवाकर आपस में लेनदेन करने के उपरान्त इन समूहों का बचत व साख समिति में परिवर्तित कर प्रति सदस्य 1000/– रूपये की दर से (अधिकतम 25000/– रूपये) अनुदान के रूप में रिवॉल्विंग फण्ड दिया जाता है ताकि समूह आर्थिक रूप से सशक्त होकर रोजगारपरक कार्यक्रमों से जुड़ते हुए दीर्घकाल में आर्थिक स्वावलम्बी बना सके।

कार्यक्रम की उपयोगिता का आकलन करने हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रस्तुत अध्ययन किया गया है। अध्ययन हेतु अजमेर, बांसवाड़ा, जयपुर, कोटा, पाली एवं उदयपुर का चयन कर भौतिक व वित्तीय प्रगति की समीक्षा के साथ लाभान्वितों के विचारों का समावेश इस प्रतिवेदन में किया गया है। अध्ययन के निष्कर्षों से परिलक्षित होता है कि योजना के क्रियान्वयन में कुछ खामियाँ जैसे समूह द्वारा सर्वसम्मत निर्णय न लेना, ऋण की अदायगी नियमित नही होना, मार्गदर्शन का अभाव, बैंकों का असहयोग, सदस्यों की निरक्षरता, रिवॉल्विंग फण्ड विलम्ब से स्वीकृत होना, बचत की राशि छोटी होना आदि अभिलिखित की गयी। कार्यक्रम को लाभकारी बनाने हेतु प्रतिवेदन में प्रासंगिक सुझाव दिये गये हैं जो कार्यकारी विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। ऐसी अपेक्षा है।

दिनांक : अक्टूबर, 2007
स्थान : जयपुर।

(जी.आर.पाराशर)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

निष्पादक–संक्षेप

लोक कल्याणकारी दायित्व के निर्वहन में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण हेतु अनेकानेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। काफी प्रयासों के बावजूद गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों की संख्या में कमी नहीं हुई, इसी परिप्रेक्ष्य में शहरी क्षेत्र में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना प्रारम्भ की गयी है। जिसके अन्तर्गत ऋण व साख समूह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

I **कार्यक्रम का उद्धेश्य** :

स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्धेश्य महिलाओं को उचित स्थान देने हेतु उनके आर्थिक सामाजिक विकास के स्तर में त्वरित वृद्धि करना है।

II **कार्यक्रम का स्वरूप** :

इस योजना में शहरी निर्धन महिलाओं में बचत की आदत डालने के उद्धेश्य से स्वयं सहायता समूह के गठन का भी प्रावधान है ताकि वे आम सहमति से बचत द्वारा एकत्रित धन राशि को बैंक में जमा कराकर उस राशि में से अपनी छोटी–छोटी आवश्यकताओं हेतु ऋण प्राप्त कर सकें। यदि ये स्वयं सहायता समूह एक साल तक सफलतापूर्वक अपना पैसा बैंक में जमा करवाकर आपस में रूपयों का लेनदेन करते हैं तो इन समूहों को बचत व साख समिति में परिवर्तित कर प्रति सदस्य 1000/– रूपये की दर से (अधिकतम 25000/– रूपये) अनुदान के रूप में रिवॉल्विंग फण्ड दिये जाने का प्रावधान है ताकि समूह आर्थिक रूप से मजबूत हों। साथ–साथ इन्हें रोजगारपरक कार्यक्रमों से जोड़ते हुए दीर्घकाल में स्वावलम्बी बनाया जा सके।

III **अध्ययन के उद्धेश्य** :

(i) योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा
(ii) ऋण व साख समूह (स्वयं सहायता समूह) की उपयोगिता ज्ञात करना
(iii) ऋण व साख समूह के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये ऋण की समीक्षा करना
(iv) ऋण एवं साख समूह के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये ऋण से स्थापित रोजगार से पड़े प्रभाव का आकलन करना
(v) ऋण एवं साख समूह की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना
(vi) कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयाँ व सुझाव ज्ञात करना।

IV **न्यादर्श** :

अध्ययन हेतु मल्टीस्टेज रेन्डम सैम्पलिंग विधी अपनाई जाकर प्रथम स्तर पर कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये जिलों को अंग्रेजी वर्णमाला में जमाकर बीस प्रतिशत जिलों का साधारण रेन्डम टेबिल द्वारा अजमेर, बांसवाड़ा, जयपुर, कोटा, पाली एवं उदयपुर का चयन किया गया।

V **सन्दर्भ वर्ष** :

अध्ययन का सन्दर्भ वर्ष 2003–04 से 2005–06 रखा गया।

VI **भौतिक प्रगति** :

राज्य में वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक कुल लक्ष्य 2250 समूह के विरूद्ध 998 (44.35 प्रतिशत) समूह गठित कर 10987 सदस्य बनाये गये एवं राशि 30.11 लाख जमा की गयी। चयनित जिलों में 504 समूह के लक्ष्य के विपरीत 245 समूह (48.61 प्रतिशत) बनाये जाकर राशि 5.66 लाख जमा की गयी। उक्त राशि 3116 सदस्यों द्वारा जमा की गई। चयनित नगर निकायों में 186 के लक्ष्य के विरूद्ध 125 (67.20 प्रतिशत) समूह बनाकर 1610 सदस्य बनाये गये एवं राशि 5.625 लाख जमा की गयी।

VII **वित्तीय प्रगति** :

राज्य में योजना हेतु चयनित जिलों को वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक आवंटित कुल राशि 71.91 लाख के विपरीत 4.69 (6.52 प्रतिशत) राशि व्यय की गयी एवं शेष राशि 67.22 (93.47 प्रतिशत) रही। चयनित नगर निकायों को योजना हेतु आवंटित राशि 10.78 लाख के विपरीत राशि 2.59 लाख (24.03 प्रतिशत) व्यय की गयी एवं शेष 8.19 (75.97 प्रतिशत) रही।

VIII **समस्याएँ** :

स्वयं सहायता समूह के मूल्यांकन अध्ययन दौरान पायी गई समस्याओं को क्रमशः निम्न प्रकार दर्शाया जा रहा है :–

(i) समूह सदस्यों में समन्वय/तालमेल की कमी एवं रूचि नहीं लेना।

(ii) समूह बैठकों में सर्वसम्मत निर्णय नहीं लेना।

(iii) ऋण अदायगी नियमित नहीं होना।

(iv) उचित मार्गदर्शन का अभाव, प्रचार–प्रसार का अभाव।

(v) व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव।

(vi) बैंक का सहयोग नहीं मिलना।

(vii) सदस्यों का निरक्षर होना।

(viii) निकाय द्वारा समय–समय पर समूह के निरीक्षण का अभाव।

(ix) ब्याज अधिक फ्लेट रेट से लिया जाना।

(x) रिवॉल्विंग फण्ड विलम्ब से स्वीकृत होना।

(xi) छोटी–छोटी राशि का ऋण प्राप्त होना।

(xii) सचिव द्वारा बचत एवं ऋण के बारे में सूचना नहीं देना, बैठक नहीं बुलाना, पक्षपात करना।

IX **अनुशंषाएँ** :

अध्ययन उपरान्त पायी गई समस्याओं के निवारण हेतु अनुशंषाएँ :–

(i) प्रतिमाह जमा की जा रही राशि को बढ़ाये जाने हेतु सदस्यों को प्रेरित किया जाना चाहिए।

(ii) समूह सदस्यों को व्यवसायिक उन्मुख प्रशिक्षण जैसे कार्यक्षमता संवर्द्धन दिया जाना चाहिए ताकि समूह के सदस्य प्रशिक्षण उपरान्त स्व अथवा वेतन रोजगार में लग सकें।

(iii) समूहों को सफल लेनदेन हेतु अभिप्रेरित किया जाना चाहिए एवं आ रही कठिनाईयों को दूर करने के प्रयास किये जाने चाहिए। एक वर्ष उपरान्त साख व बचत समिति में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

(iv) बैंक ऋण पर अनुदान का प्रावधान करवाया जाना चाहिए एवं रिवॉल्विंग फण्ड समय पर स्वीकृत किया जाकर बैंक में जमा किया जाना चाहिए जिससे बैंक से अधिक राशि का ऋण स्वीकृत हो सके।

(v) समूहों का शत प्रतिशत पंजीयन होना चाहिए एवं समूह से ऋण सरल ब्याज दर पर दिया जाना चाहिए एवं फ्लेट दर बन्द की जानी चाहिए।

(vi) सदस्यों में समन्वय (तालमेल) के प्रयास किये जाने चाहिए एवं महिलाओं में जागृति पैदा की जानी चाहिए एवं नगर निकाय के अधिकारियों को समय–समय पर निरीक्षण हेतु पाबन्द किया जाना चाहिए।

(vii) समूह में साक्षर सदस्य होने चाहिए एवं सदस्यों कोऋण की किश्तों को समय पर जमा कराने हेतु शिक्षित एवं पाबन्द किया जाना चाहिए।

(viii) महिला एवं बाल विकास की समूह योजना में निर्धारित बैंक ऋण सुविधा इस योजना में भी होनी चाहिए, रिकॉर्ड संधारण करने वाले को मानदेय पर विचार किया जाना चाहिए।

(ix) स्वयं सहायता समूह गठन, बचत हेतु प्रेरित करने तथा बैंक से ऋण उपलब्ध कराने एवं ऋणों के पुर्नभरण हेतु गैर सरकारी संगठनों की सहायता ली जानी चाहिए।

(x) एस.एच.जी. द्वारा तैयार उत्पाद के क्रय विक्रय हेतु सरकारी एवं सहकारी स्तर पर व्यवस्था होनी चाहिए ताकि समूह के सदस्यों का उत्पाद का व्यवहारिक मूल्य एवं लाभ मिल सके।

(xi) गरीब एवं अशिक्षित नगरीय महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन की परिकल्पना के मध्यनजर निष्क्रिय समूहों को उनकी आर्थिक उपादेयता को सिद्ध कर सक्रिय करने की कार्य योजना पर बल दिया जाना चाहिए।

(xii) सक्रिय एवं सफल समूहों की आर्थिक गतिविधियों एवं कार्यकलापों का इलेक्ट्रोनिक मीडिया के द्वारा सामयिक प्रचार प्रसार करवाया जाना चाहिए ताकि अन्य प्रतियोगी पोषक व्यक्तियों को समूह गठन की चेतना मिलने से स्वयं सहायता समूह नेटवर्क को सम्बल मिल सके।

X **निष्कर्ष** :

शहरी स्वर्ण जयन्ति स्वरोजगार योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम स्वायत्त शासन विभाग के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण में सम्बन्धित नगर निकायों (नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम) द्वारा शहरी निर्धन महिलाओं में बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के आशय से स्वयँ सहायता समूह का गठन किया जाता है; ताकि निर्धन महिलाएँ समूह की आम सहमति से बचत द्वारा संग्रहित धनराशि को बैंक में जमा कराकर उस राशि में से अपनी सामाजिक दैनिक लघु आवश्यकताओं हेतु ऋण प्राप्त कर सकें। महिला स्वयं सहायता समूह एक वर्ष तक सफलतापूर्वक अपनी बचत बैंक में जमा करवाकर आपस में रूपये का लेनदेन पर समूहों को बचत व साख समिति में परिवर्तित कर प्रति सदस्य 1000/– रूपये की दर से अधिकतम रूपये 25000/– तक अनुदान रूप में ''रिवॉल्विंग फण्ड'' दिये जाने का प्रावधान है तथा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित सेवा क्षेत्र के बैंक से निर्धारित शर्तों की सीमान्तर्गत अनुदान रहित ऋण प्राप्त करने की पात्रता है। रिवॉल्विंग फण्ड स्वीकृति की विभाग द्वारा कराई गयी सूचना के अनुसार प्रति सदस्य 1000 से कम राशि स्वीकृत की गई जबकि क्षेत्रीय कार्य के दौरान प्राप्त सूचना के विश्लेषण से स्पष्ट है कि निर्धारित मानदण्ड से अधिक राशि रिवॉल्विंग फण्ड हेतु स्वीकृत की गई।

समूहों का गठन गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों (बी.पी.एल.) से किये गये हैं। प्रत्येक समूह में औसतन 12 सदस्य हैं तथा सर्वेक्षित सभी समूह पंजीकृत पाये गये। समूहों द्वारा कार्यक्रम का संचालन निर्धारित व्यवस्थानुसार किया जाना पाया गया परन्तु समूहों का अपनी बचत बैंक में जमा करवाकर आपस में रूपये का लेनदेन नियमित नहीं करने से नगर निकायों द्वारा समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड स्वीकृत करने की प्रगति कमजोर होने से नगर निकायों को आवंटित राशि का उपयोग कम करना अभिलिखित किया गया है।

गठित समूह सदस्यों द्वारा कम राशि की बचत की जा रही है। बचत राशि को बैंक में जमा करवायी जाती है तथा बचत राशि का लेखा जोखा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव द्वारा संधारित किया जाना पाया गया। सदस्यों द्वारा समूह की बचत राशि से घरेलू लघु आवश्यकताओं के लिए ऋण लेना भी पाया गया परन्तु समूह एवं सदस्यों द्वारा (कोटा जिले को छोड़कर) अन्य ऋणदात्रि संस्थाओं से ऋण लेना नहीं पाया गया। समूह की बचत से 80 प्रतिशत तक राशि ऋण के रूप में एक से दो प्रतिशत ब्याज दर पर स्वीकृत की जाती है जिसकी वसूली रूपये 100 से 500 तक की आसान मासिक किश्तों पर नकद की जाती है। समूह की बचत से ऋण राशि की सुविधा से अधिकांश सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार परिलक्षित हुआ है परन्तु कुछ सदस्यों द्वारा व्यावसायिक इकाई हेतु समूह से ऋण प्राप्त करने के उपरान्त भी इकाई स्थापित नहीं की है। जिन सदस्यों द्वारा इकाई स्थापित की है वह कार्यशील पायी गयी परन्तु इनकी संख्या कम है।

राज्य स्तर पर स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम की मॉनिटरिंग व्यवस्था प्रभावी नहीं होने से जिलेवार समूहों की सही एवं प्रमाणित जानकारी का अभाव देखा गया। सारांशतः शहरी क्षेत्रों में बी.पी.एल. परिवारों से स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है परन्तु विभाग द्वारा प्रतिवेदित समंकों अनुसार स्वयं सहायता समूह सक्रिय नहीं देखे गये। गठित सक्रिय समूह के सदस्यों द्वारा बचत राशि से ऋण प्राप्त करने से उनकी आर्थिक गतिविधियों को सम्बल के साथ जीवन स्तर में सुधार हुआ है। महिलाएँ आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त हुयी है। बचत की प्रवृत्ति से उनमें जागृति के साथ उनके आचार–विचार एवं व्यवहार परिदृश्य में सुधार परिलक्षित हुआ है परन्तु राज्य के क्षेत्र को देखते हुए प्रगति उत्साहजनक नहीं है। कुछ सदस्यों द्वारा बचत राशि से ऋण लेने के बाद भी आर्थिक इकाईयाँ संस्थापित नहीं की गयी है। निष्क्रिय समूहों को सक्रिय करने की आवश्यकता है। राज्य स्तर पर स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम की सामयिक समीक्षा के साथ प्रभावी परिवीक्षण की व्यवस्था अपेक्षित है। क्षेत्रीय कार्य के दौरान एक भी समूह अस्तित्व में नहीं था, जो अंकित करता है कि समूह बनाने की औपचारिकता प्रगति दिखाने के लिए ही की गयी वास्तव में इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया गया।

सारांशतः शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह बनाये जा रहे हैं एवं समूह के सदस्य बी.पी.एल. परिवारों से बनाये जा रहे हैं। सदस्यों द्वारा बचत की जा रही है परन्तु छोटी–छोटी राशि की, समूह द्वारा लेखों का संधारण किया जा रहा है। सदस्यों द्वारा समूह की बचत से अपनी आवश्यकताओं हेतु छोटी–छोटी राशि का ऋण प्राप्त किया जा रहा है परन्तु ऋण उपरान्त भी कम इकाई स्थापित की जा रही है। बैंक से भी ऋण कम मात्रा में लिया जा रहा है। समूह के सदस्यों पर ऋण से रहन–सहन व आय में आशातीत वृद्धि परिलक्षित नहीं हुई है।

———————

अध्याय प्रथम

मूल्यांकन संरचना

1.0 प्रस्तावना :

लोक कल्याणकारी दायित्व के निर्वहन में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण हेतु अनेकानेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। काफी प्रयासों के बावजूद गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों की संख्या में कमी नहीं हुई, इसी परिपेक्ष्य में शहरी क्षेत्र में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना प्रारम्भ की गयी है। जिसके अन्तर्गत ऋण व साख समूह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

1.1 कार्यक्रम का उद्धेश्य :

ऋण एवं साख समूह (स्वयं सहायता समूह) का मुख्य उद्धेश्य महिलाओं को उचित स्थान देने हेतु उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास के स्तर में त्वरित वृद्धि करना है।

1.2 कार्यक्रम का स्वरूप :

इस योजना में शहरी निर्धन महिलाओं में बचत की आदत डालने के उद्धेश्य से स्वयं सहायता समूह के गठन का भी प्रावधान हैं ताकि वे आम सहमति से बचत द्वारा एकत्रित धन राशि को बैंक में जमा कराकर उस राशि में से अपनी छोटी–छोटी आवश्यकताओं हेतु ऋण प्राप्त कर सके। यदि ये स्वयं सहायता समूह एक साल तक सफलतापूर्वक अपना पैसा बैंक में जमा करवाकर आपस में रूपयों का लेनदेन करते हैं तो इन समूहों को बचत व साख समिति में परिवर्तित कर प्रति सदस्य 1000/– रूपये की दर से (अधिकतम 25000/– रूपये) अनुदान के रूप में रिवॉल्विंग फण्ड दिये जाने का प्रावधान है। ताकि समूह आर्थिक रूप से मजबूत हो। साथ–साथ इन्हें रोजगारपरक कार्यक्रमों से जोड़ते हुए दीर्घकाल में स्वावलम्बी बनाया जा सके।

1.3 अध्ययन के उद्धेश्य :

1 योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा
2 ऋण एवं साख समूह (स्वयं सहायता समूह) की उपयोगिता ज्ञात करना
3 ऋण एवं साख समूह के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये ऋण की समीक्षा करना
4 ऋण एवं साख समूह के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये ऋण से स्थापित रोजगार से पड़े प्रभाव का आकलन करना
5. ऋण एवं साख समूह की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना
6. कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में आ रही कठिनाई व सुझाव ज्ञात करना।

1.4 न्यादर्श :

1.4.1 अध्ययन हेतु मल्टीस्टेज रेण्डम सैम्पलिंग विधि अपनाई जाकर प्रथम स्तर पर कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये जिलों को अंग्रेजी वर्णमाला में जमाकर बीस प्रतिशत जिलों का साधारण रेण्डम टेबिल द्वारा अजमेर, बांसवाड़ा, जयपुर, कोटा, पाली एवं उदयपुर का चयन किया गया है।

1.4.2 द्वितीय स्तर पर चयनित जिलों में से नगर निकायों का चयन उद्धेश्यात्मक चयन विधि से किया गया। जिसके अनुसार एक जिला मुख्यालय की नगर निकाय व दूसरी अधिकतम समूहों वाली नगर निकाय का चयन किया गया। चयनित नगर निकाय क्रमशः अजमेर, किशनगढ़ (अजमेर), बांसवाड़ा, कुशलगढ़(बासवाड़ा), जयपुर एवं बगरू (जयपुर), कोटा एवं सांगोद (कोटा), पाली व सुमेरपुर (पाली), उदयपुर एवं सलूम्बर (उदयपुर) हैं। अतः प्रत्येक जिले से दो नगर निकाय अर्थात कुल 10 नगर निकायों का चयन किया गया। सर्वेक्षण हेतु चयनित नगर निकायों में से अधिकतम दस स्वयं सहायता समूहों को अध्ययन हेतु लिया गया। पाली निकाय में समूह सक्रिय नहीं होने से पाली के स्थान पर सुमेरपुर का प्रतिस्थापन किया गया। नगरपालिका बांसवाड़ा एवं कुशलगढ़ तथा जिला मूल्यांकन अधिकारी बांसवाड़ा की सूचना अनुसार जिले की किसी भी नगर पालिका में एक भी स्वयं सहायता समूह सक्रिय नहीं होने के कारण अध्ययन में इनका समावेश नहीं किया गया।

1.4.3 तृतीय स्तर पर प्रत्येक चयनित नगर निकाय क्षेत्र में गठित किये ऋण एवं साख समूह से 5–5 अनुसूची भरी जाकर कार्यक्रम के संबंध में जानकारी प्राप्त करवायी गयी।

1.4.4 चतुर्थ स्तर पर चयनित प्रत्येक ऋण एवं साख समूह के सदस्यों में से समूह से प्राप्त लाभ के संबंध में जानकारी हेतु पाँच लाभ प्राप्तकर्ता अनुसूची भरी गयी।

1.5 अनुसूचियाँ :

1. राज्य प्रलेख अनुसूची :

राज्य स्तर पर कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई प्रगति का विवरण एकत्रित किया गया।

2 जिला प्रलेख/नगर निकाय अनुसूची :

इस अनुसूची में कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना एकत्रित की गयी।

3. ऋण एवं साख अनुसूची : (स्वयं सहायता समूह)

इस अनुसूची में इस मद के अन्तर्गत हुई प्रगति का विवरण लिया गया।

4. **लाभ प्राप्तकर्ता अनुसूची :**

कार्यक्रम से प्राप्त लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी।

5. **अधिकारी / गैर अधिकारी अनुसूची :**

जिला परियोजना अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, विकास अधिकारी से कार्यक्रम के क्रियान्वयन, उससे लाभ, उपयोगिता के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त की गयी।

6. **बैंक अनुसूची :**

इस अनुसूची में लाभार्थी द्वारा प्राप्त किये गये ऋण संबंधी जानकारी प्राप्त की गयी।

1.6 **सन्दर्भ वर्ष :**

अध्ययन का सन्दर्भ वर्ष 2003–04 से 2005–06 रखा गया।

———

अध्याय द्वितीय

प्रगति की समीक्षा

2.0 शहरी क्षेत्र में संचालित स्वयं सहायता समूह योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण इस अध्याय में निम्न मदों में प्रस्तुत किया जा रहा है।

2.1 भौतिक प्रगति :

2.1.1 योजनान्तर्गत की गयी भौतिक प्रगति का विवरण निम्न तालिका में वर्षवार दर्शाया जा रहा है :–

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	सदस्य	राशि जमा
1	2003–04	750	362	48.26	4036	12.96
2	2004–05	750	262	34.93	2617	6.83
3	2005–06	750	374	49.86	4334	10.32
	योग :	**2250**	**998**	**44.35**	**10987**	**30.11**

2.1.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक महिला स्वयं सहायता समूह बनाने के 2250 के लक्ष्य के विपरीत 998 (44.36 प्रतिशत) उपलब्धि अर्जित की गयी, इससे स्पष्ट होता है कि समूह बनाने के प्रति क्षेत्र में रूचि का अभाव है। बनाये गये समूह के 10987 सदस्य प्रति समूह 11 सदस्य बनाये गये हैं जो निर्धारित मानदण्डानुसार है। गठित किये गये समूहों के सदस्यों द्वारा राशि 30.11 लाख जमा की गयी जो प्रति सदस्य 274 की राशि जमा की गयी।

2.2 चयनित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह की भौतिक प्रगति :

2.2.1 स्वयं सहायता समूह योजनान्तर्गत चयनित जिलों में की गयी भौतिक प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	वर्षवार प्रगति							
		2003–04				2004–05			
		लक्ष्य	उपलब्धि	सदस्य	जमा राशि	लक्ष्य	उपलब्धि	सदस्य	जमा राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जयपुर	51	10	125	0.27	51	9	106	0.16
2	उदयपुर	18	14	162	0.29	18	14	150	0.23
3	कोटा	27	20	234	0.30	27	20	284	0.76
4	अजमेर	36	18	196	0.21	36	18	209	0.31
5	पाली	36	10	127	0.40	36	4	45	0.08
	योग :	**168**	**72**	**844**	**1.47**	**168**	**65**	**794**	**1.54**
	प्रतिशत								

..... तालिका निरन्तर

क्र. सं.	चयनित जिला	वर्षवार प्रगति							
		2005–06				योग			
		लक्ष्य	उपलब्धि	सदस्य	जमा राशि	लक्ष्य	उपलब्धि	सदस्य	जमा राशि
		11	12	13	14	15	16	17	18
1	जयपुर	51	28	379	–	153	47	628	0.43
2	उदयपुर	18	18	244	0.27	54	46	556	0.79
3	कोटा	27	24	347	1.58	81	64	865	2.64
4	अजमेर	36	17	260	0.48	108	53	665	1.00
5	पाली	36	21	230	0.32	108	35	402	0.80
	योग :	**168**	**108**	**1460**	**2.65**	**504**	**245**	**3116**	**5.66**
	प्रतिशत						**48.61**		

संकेत : (– निल)

2.2.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में 504 समूह गठन के लक्ष्य के विपरीत 245 समूह गठित किये गये जो 48.61 प्रतिशत है व 3116 सदस्य बनाये जाकर 5.66 लाख राशि जमा की गयी। अर्थात प्रत्येक समूह में 12 सदस्य बनाये गये व प्रत्येक समूह द्वारा 2310 की राशि, प्रति सदस्य 193/– रूपये की राशि जमा करवायी गयी। वर्षवार विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2003–04 में उपलब्धि 72 समूह रही थी जबकि वर्ष 2004–05 में 65 समूह बनाये गये अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में प्रगति में कमी हुई एवं वर्ष 2005–06 में 108 समूह गठित किये गये अर्थात प्रगति सन्तोषजनक रही।

2.3 वित्तीय प्रगति :

2.3.1 शहरी क्षेत्र में संचालित बचत एवं साख समूह हेतु आवंटित राशि व व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	वर्षवार प्रगति								
		2003–04		2004–05		2005–06		योग		
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	शेष
1	जयपुर	20.33	0.32	14.53	–	–	–	34.86	0.32	34.54
2	उदयपुर	2.36	0.21	3.65	0.30	3.40	0.24	9.41	0.75	8.66
3	कोटा	2.50	0.50	1.68	0.51	1.17	0.10	5.35	1.11	4.24
4	अजमेर	4.38	0.38	8.32	0.58	7.74	1.44	20.44	2.40	18.04
5	पाली	1.85	–	–	–	–	0.11	1.85	0.11	1.85
	योग :	**31.42**	**1.41**	**28.18**	**1.39**	**12.31**	**1.89**	**71.91**	**4.69**	**67.22**
	प्रतिशत		**4.49**		**4.93**		**15.35**		**6.52**	**93.47**

संकेत : (– निल)

2.3.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक कुल राशि 71.91 लाख का आवंटन किया गया था, जिसके विरूद्ध मात्र 4.69 लाख रूपये का व्यय किया गया जो केवल 6.52 प्रतिशत है। 67.22 लाख (93.47 प्रतिशत) शेष रही है अर्थात कम राशि का उपयोग किया गया। आवंटन व व्यय का वर्षवार विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2003–04 में आवंटन के विरूद्ध

व्यय 4.49 प्रतिशत किया गया, जो वर्ष 2004–05 में 4.93 प्रतिशत रहा एवं वर्ष 2005–06 में व्यय प्रतिशत 15.35 हो गया जो स्पष्ट करता है कि राशि का वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 में अधिक आवंटन के विपरीत कम व्यय किया गया जबकि वर्ष 2005–06 में आवंटन कम होने के विपरीत सन्तोषजनक व्यय किया गया। अतः आवंटित राशि के विपरीत कम राशि का उपयोग किया गया, जो स्पष्ट करता है कि योजना के क्रियान्वयन पर समुचित ध्यान नगर निकायों/नगर निगम द्वारा नहीं दिया जा रहा है।

2.4 बचत एवं साख समिति को स्वीकृत किये गये रिवॉल्विंग फण्ड का विवरण :

2.4.1 शहरी स्वयं सहायता समूहों द्वारा एक वर्ष तक सफलतापूर्वक कार्य करने पर इनको रिवॉल्विंग फण्ड बचत एवं साख समिति में परिवर्तित करते हुए उपलब्ध करवाया गया है जिसका वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	वर्षवार प्रगति											
		2003–04						2004–05					
		समूह संख्या		बचत साख समूह संख्या		फण्ड		समूह संख्या		बचत साख समूह संख्या		फण्ड	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	जयपुर	26	32	4	3	0.57	0.43	10	9	–	–	–	–
2	उदयपुर	13	14	3	2	0.29	0.21	14	14	5	2	0.10	0.30
3	कोटा	17	18	4	2	0.50	0.50	20	18	4	4	0.51	0.51
4	अजमेर	26	18	8	1	0.59	0.15	18	10	7	6	0.82	0.70
5	पाली	26	–	1	–	0.10	–	10	–	3	–	0.33	–
	योग :	**108**	**82**	**20**	**8**	**2.05**	**1.29**	**72**	**51**	**19**	**12**	**1.76**	**1.51**
	प्रतिशत												

.... लगातार

वर्षवार प्रगति											
2005–06						योग					
समूह संख्या		बचत साख समूह संख्या		फण्ड		समूह संख्या		बचत साख समूह संख्या		फण्ड	
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	28	–	–	–	–	45	69	4	3	0.57	0.43
14	18	3	3	0.24	0.24	41	46	11	7	0.63	0.75
20	15	1	1	0.70	0.10	57	51	9	7	1.11	1.11
18	16	–	1	–	–	62	44	15	8	1.41	0.85
4	–	3	–	0.31	–	40	–	7	–	0.74	–
65	**77**	**7**	**5**	**0.65**	**0.34**	**245**	**210**	**46**	**25**	**4.46**	**3.14**

संकेत : (– निल),

1–संबंधित विभाग द्वारा बतायी गई, 2–क्षेत्र कार्य के दौरान प्राप्त की गयी।

2.4.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक कुल 245 समूह बनाये गये जिसमें से 46 समूहों को बचत व साख समूह में परिवर्तित किये गये जो 18.98 प्रतिशत है व 4.46 लाख का रिवॉल्विंग फण्ड प्रति सदस्य 1000 के आधार पर स्वीकृत किया गया। स्वीकृत किये गये रिवॉल्विंग फण्ड का और विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि प्रति बचत व साख समूह को 9696 की राशि स्वीकृत की गयी अर्थात प्रति सदस्य 808 की राशि स्वीकृत की गयी जो निर्धारित मानदण्ड से कम है जबकि क्षेत्रीय कार्य के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर कुल 210 स्वयं सहायता समूह में से 25(11.90 प्रतिशत) समूहों को बचत व साख समूह में परिवर्तित कर राशि 3.14 लाख का रिवॉल्विंग फण्ड स्वीकृत किया गया अर्थात प्रति समूह 12560 का रिवॉल्विंग फण्ड स्वीकृत किया गया जो प्रति सदस्य 1141 के आधार पर है। अर्थात निर्धारित मानदण्ड से अधिक का रिवॉल्विंग फण्ड स्वीकृत किया गया।

2.5 चयनित नगर पालिकाओं की प्रगति का विवरण :

2.5.1 शहरी क्षेत्र में संचालित स्वयं सहायता समूह योजना के तहत अध्ययन हेतु चयनित नगर पालिकाओं में की गयी प्रगति का विवरण निम्न मदों में दर्शाया जा रहा है :–

2.6 भौतिक प्रगति :

2.6.1 चयनित नगर पालिकाओं में की गयी भौतिक प्रगति का वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	चयनित नगरपालिका	जिला	2003–04				2004–05			
			लक्ष्य	उप.	सदस्य	जमा राशि	लक्ष्य	उप.	सदस्य	जमा राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	चाकसू	जयपुर	6	2	28	0.24	2	–	–	–
	बगरू	जयपुर	6	2	21	0.12	6	3	30	0.13
2	सलूम्बर	उदयपुर	1	1	10	0.10	3	3	37	0.08
	उदयपुर	उदयपुर	6	7	87	0.18	6	5	51	0.05
3	कोटा	कोटा	12	12	142	0.70	18	18	260	0.75
	सांगोद	कोटा	3	2	20	0.32	3	2	24	0.01
4	अजमेर	अजमेर	12	5	56	0.02	12	3	32	0.01
	किशनगढ़	अजमेर	9	4	–	–	9	10	118	0.17
5	सुमेरपुर	पाली	3	1	11	0.27	3	1	11	0.01
	योग :		**58**	**36**	**375**	**1.95**	**62**	**45**	**563**	**1.21**
	प्रतिशत :			**62.07**				**53.07**		

..... तालिका निरन्तर

क्र. सं.	चयनित नगरपालिका	जिला	2005–06				योग			
			लक्ष्य	उप.	सदस्य	जमा राशि	लक्ष्य	उप.	सदस्य	जमा राशि
			12	13	14	15	16	17	18	19
1	चाकसू	जयपुर	6	2	30	0.06	14	4	58	0.30
	बगरू	जयपुर	6	6	60	0.16	18	11	111	0.41
2	सलूम्बर	उदयपुर	3	3	36	0.10	7	7	83	0.28
	उदयपुर	उदयपुर	6	7	105	0.45	18	19	243	0.68
3	कोटा	कोटा	18	15	255	0.68	48	45	657	2.13
	सांगोद	कोटा	3	2	20	0.66	9	6	64	0.99
4	अजमेर	अजमेर	12	1	15	0.005	36	9	103	0.035
	किशनगढ़	अजमेर	9	6	129	0.31	27	20	247	0.48
5	सुमेरपुर	पाली	3	2	22	0.04	9	4	44	0.32
	योग :		**66**	**44**	**672**	**2.465**	**186**	**125**	**1610**	**5.625**
	प्रतिशत :			**69.23**				**67.20**		

2.6.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित नगरपालिकाओं में कुल 186 समूह गठन के लक्ष्य के विपरीत 125(67.20 प्रतिशत) समूह गठित किये जाकर 1610 सदस्य बनाये गये एवं राशि 5.625 लाख जमा की गयी। प्रत्येक समूह में औसतन 12 सदस्य बनाये जाकर प्रति समूह 4500 की राशि जमा की गयी और विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि प्रति सदस्य द्वारा राशि 375 रूपये जमा की गयी।

2.6.3 विवेचन से स्पष्ट है कि समूह गठन की प्रगति सन्तोषजनक रही परन्तु सदस्यों द्वारा राशि कम जमा करवायी गयी है। राशि बढाये जाने हेतु विभागीय स्तर पर प्रयास किये जाने चाहिए। तालिका का वर्षवार विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2003–04 की तुलना में वर्ष 2004–05 में प्रगति कम रही जबकि लक्ष्य कम थे, वर्ष 2005–06 में प्रगति ठीक रही अर्थात स्पष्ट है कि वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 की तुलना में वर्ष 2005–06 में समूह गठन की प्रवृत्ति नगर निकाय/नगर निगम क्षेत्र में बढ़ी है।

2.7 वित्तीय प्रगति :

2.7.1 अध्ययन हेतु चयनित नगरपालिकाओं में योजनान्तर्गत आवंटित राशि व व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	नगर पालिका का नाम	जिला	वर्षवार प्रगति								
			2003–04		2004–05		2005–06		योग		
			आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चाकसू	जयपुर	–	–	1.12	–	–	–	1.12	–	1.12
2	बगरू	जयपुर	0.11	–	0.18	–	–	–	0.29	–	0.29
3	सलूम्बर	उदयपुर	0.10	0.10	0.18	0.10	0.08	0.10	0.36	0.30	0.06
4	उदयपुर	उदयपुर	1.41	0.11	0.72	–	–	0.42	2.13	0.53	1.60
5	कोटा	कोटा	1.48	0.50	1.18	0.51	0.67	0.10	3.33	1.11	2.22
6	सांगोद	कोटा	0.11	0.10	0.19	–	–	0.10	0.30	0.20	0.10
7	अजमेर	अजमेर	0.72	–	0.72	–	0.72	–	2.16	–	2.16
8	किशनगढ़	अजमेर	0.37	–	0.72	0.34	–	–	1.09	0.34	0.75
9	सुमेरपुर	पाली	–	–	–	–	–	0.11	–	0.11	–
	योग :		**4.30**	**0.81**	**5.01**	**0.95**	**1.47**	**0.72**	**10.78**	**2.59**	**8.19**
	प्रतिशत :			**18.83**		**18.96**		**48.98**		**24.03**	**75.97**

2.7.2 तालिका से ज्ञात होता है कि चयनित नगरपालिकाओं में वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक कुल 10.78 लाख राशि का आवंटन किया गया था जिसके विरूद्ध 2.59 लाख राशि का उपयोग किया गया जो 24.03 प्रतिशत है। राशि 8.19 लाख (75.97 प्रतिशत) शेष–अनुपयोगी रही है। इससे यह भी परिलक्षित होता है कि नगर निकाय/नगर निगमों द्वारा योजना का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा। उपरोक्त तालिका का वर्षवार विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2003–04 में 18.83 प्रतिशत एवं वर्ष 2004–05 में 18.96 प्रतिशत किया गया जबकि वर्ष 2005–06 में व्यय 48.98 प्रतिशत हुआ है। अतः स्पष्ट है नगर निकाय/नगर निगम के पूर्व के व्यय को दृष्टिगत रखते हुए आलोच्य वर्ष में कम आवंटन किया गया। स्पष्ट है कि निकायों द्वारा समुचित उपयोग नहीं किया जाता इसके लिए समुचित मॉनिटरिंग की आवश्यकता है।

2.8 चयनित नगरपालिकाओं में बचत एवं साख समिति को स्वीकृत किये गये रिवॉल्विंग फण्ड का विवरण :

2.8.1 चयनित नगरपालिकाओं द्वारा एक वर्ष तक सफलतापूर्वक लेनदेन का कार्य करने के उपरान्त स्वीकृत रिवॉल्विंग फण्ड का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित नगर निकाय संख्या	वर्षवार प्रगति											
			2003–04			2004–05			2005–06			योग		
			समूह संख्या	बचत साख	फण्ड स्वीकृत	समूह संख्या	बचत साख	फण्ड स्वीकृत	समूह संख्या	बचत साख	फण्ड स्वीकृत	समूह संख्या	बचत साख	फण्ड स्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	जयपुर	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	–
2	उदयपुर	2	7	2	0.21	9	1	0.10	9	5	0.52	25	8	0.83
3	कोटा	2	14	3	0.60	13	4	0.51	11	2	0.20	38	9	1.31
4	अजमेर	2	9	–	–	5	3	0.34	7	–	–	21	3	0.34
5	पाली	1	2	1	0.11	1	–	–	2	–	–	5	1	0.11
	योग	**9**	**34**	**6**	**0.92**	**29**	**8**	**0.95**	**29**	**7**	**0.72**	**92**	**21**	**2.59**
	प्रतिशत			**17.64**			**27.58**			**24.13**			**22.82**	

संकेत : (– निल)

2.8.2 तालिका से स्पष्ट है कि चयनित 9 नगर निकायों के कुल 92 समूहों में से 21(22.82 प्रतिशत) समूह द्वारा एक वर्ष तक सफलतापूर्वक लेनदेन करने पर उनको बचत एवं साख समिति में परिवर्तित कर राशि 2.59 लाख रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में स्वीकृत की गयी। अर्थात प्रत्येक 12 सदस्यीय समूह को कुल राशि 12,333 का अनुदान प्रति सदस्य औसतन रूपये 1121 का अनुदान स्वीकृत किया गया जो निर्धारित रूपये 1000/– प्रति सदस्य से 12.10 प्रतिशत अधिक है। उपरोक्त तालिका का वर्षवार विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि समूहों को बचत एवं साख समूह में प्रथम 2003–04 वर्ष के मुकाबले वर्ष 2004–05 में अधिक समूहों को साख एवं बचत समूह में परिवर्तित किया गया जबकि वर्ष 2005–06 में 2004–05 के मुकाबले 12.50 प्रतिशत कम है। तथ्य स्पष्ट करता है कि समूहों द्वारा एक वर्ष तक ठीक प्रकार से लेनदेन का कार्य नहीं किया है।

अध्याय तृतीय

परिणाम परिदृश्य

3.0 महिला स्वयं सहायता समूह अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य हेतु चयनित किये गये समूहों का विवरण एवं लाभ प्राप्तकर्ता से किये गये साक्षात्कार उपरान्त स्वयं सहायता समूह से पड़े प्रभाव का विवरण निम्न मदों में प्रस्तुत किया जा रहा है :–

3.1 चयनित समूहों का विवरण :

3.1.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये समूहों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(इकाई–संख्या)

क्र. सं.	निकाय जिला	चयनित निकाय संख्या	गठन का वर्ष						
			2001	2002	2003	2004	2005	2006	योग
1	जयपुर	2	–	–	–	2	1	2	5
2	उदयपुर	2	–	–	1	1	8	–	10
3	कोटा	2	2	–	4	3	–	1	10
4	अजमेर	2	5	2	–	2	–	–	9
5	पाली	1	–	–	1	–	3	–	4
	योग :	**9**	**7**	**2**	**6**	**8**	**12**	**3**	**38**
	प्रतिशत		**18.42**	**5.26**	**15.80**	**21.05**	**31.58**	**7.89**	

3.1.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित 9 नगर निकायों में कुल 38 समूहों का चयन अध्ययन हेतु किया गया जिसमें से 12(31.58 प्रतिशत) 2005 में, 8(21.05 प्रतिशत) 2004 में, 7(18.42 प्रतिशत) 2001 में गठित किये गये थे। सबसे कम वर्ष 2002 एवं 2006 में क्रमशः 2 एवं 3 समूह थे। स्पष्ट है कि अध्ययन हेतु चयनित समूह सबसे अधिक वर्ष 2001, 2003, 2004 एवं 2005 के रहे हैं।

3.2 चयनित समूहों के सदस्यों का विवरण :

3.2.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये समूहों के सदस्यों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	जिला	निकाय संख्या	समूह संख्या	जातिवार सदस्यों का विवरण					समूह पंजीकृत	
				अनु. जाति	अनु. जनजाति	ओ.बी.सी.	अन्य	योग	हाँ	नहीं
1	जयपुर	2	5	48	1	26	1	76	5	–
2	उदयपुर	2	10	31	2	37	52	122	10	–
3	कोटा	2	10	13	2	100	6	121	5	5
4	अजमेर	2	9	71	–	28	7	106	5	4
5	पाली	1	4	18	–	23	2	43	4	–
	योग :	9	38	181	5	214	68	468	29	9
	प्रतिशत			38.68	1.07	45.73	14.52	100	76.32	23.68

3.2.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित 38 समूहों में कुल 468 सदस्य हैं। अर्थात प्रत्येक समूह में औसतन 12 सदस्य हैं। कुल 468 सदस्यों में से सबसे अधिक 214(45.73 प्रतिशत) सदस्य ओ.बी.सी. तथा 181(38.68 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति, 68(14.52 प्रतिशत) अन्य जाति के हैं। परिणाम स्पष्ट करते हैं कि अनुसूचित जनजाति एवं ओ.बी.सी. समूह बनाने में अधिक रूचि है जो बी.पी.एल. परिवारों एवं कम पढ़ी हुई है। तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि चयनित 38 समूहों में से 29 (76.32 प्रतिशत) पंजीकृत एवं 9(23.68 प्रतिशत) अपंजीकृत हैं।

3.3 कार्यक्रम के क्रियान्वयन का विवरण :

3.3.1 चयनित समूहों से कार्यक्रम क्रियान्वयन के बारे में प्राप्त जानकारी का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	जिला	समूह संख्या	क्रियान्वयन मानदण्डानुसार		कठिनाईयाँ (कोड)				दूर करने के उपाय (कोड)		प्रेरित किया (कोड)	
			हाँ	नहीं	1	2	3	4	1	2	1	2
1	जयपुर	5	5	–	–	–	–	–	–	–	5	–
2	उदयपुर	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	10
3	कोटा	10	5	5	5	4	–	–	2	2	10	–
4	अजमेर	9	5	4	2	1	1	2	2	3	9	–
5	पाली	4	4	–	–	–	–	–	–	–	4	–
	योग :	**38**	**29**	**9**	**7**	**5**	**1**	**2**	**4**	**5**	**28**	**10**
	प्रतिशत		**76.32**	**23.68**	**77.78**	**55.55**	**11.11**	**22.22**	**44.44**	**55.56**	**73.68**	**26.32**

नोट : एक से अधिक उत्तर के कारण प्रतिशत अधिक है।

कोड कठिनाईयाँ :

1. समूह सदस्यों में समन्वय का अभाव एवं रूचि नहीं लेना
2. समूह बिखर चुके हैं।
3. समूह बैठकों में सर्वसम्मति से निर्णय नहीं लेना,
4. समूह के कई सदस्य ऋण लेने के पश्चात् ऋण अदायगी नहीं करते।

कोड उपाय :

1. अधिकारियों द्वारा सदस्यों को जानकारी देकर
2. सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाकर

3.3.2 तालिका से ज्ञात होता है कि चयनित समूहों में से 29(76.32 प्रतिशत) ने योजना का क्रियान्वयन मानदण्डानुसार किया जाना व 9(23.68 प्रतिशत) ने नहीं किया जाना बताया। 77.78 प्रतिशत ने समूह सदस्यों में रूचि व समन्वय का अभाव, 55.55 प्रतिशत ने समूह का बिखराव, 22.22 प्रतिशत ने समूह सदस्य ऋण लेने के उपरान्त चुकाते नहीं की कठिनाईयाँ व्यक्त की। व्यक्त की गयी कठिनाईयों को दूर करने हेतु 44.44 प्रतिशत ने समूह सदस्यों को अधिकारियों द्वारा जानकारी एवं 55.56 प्रतिशत ने सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाकर कठिनाईयों को दूर किया जाने का सुझाव दिया है।

3.4 चयनित समूहों द्वारा की गयी बचत का विवरण :

3.4.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये समूहों द्वारा की जा रही बचत, राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	जिला	समूह संख्या	सदस्यों द्वारा बचत		सदस्य	वर्ष 2005–06 में बचत	बचत बैंक में	
			हाँ	नहीं			हाँ	नहीं
1	जयपुर	5	5	–	76	32100	5	–
2	उदयपुर	10	10	–	122	98400	10	–
3	कोटा	10	10	–	121	76200	10	–
4	अजमेर	9	9	–	106	58440	9	–
5	पाली	4	4	–	43	42050	4	–
	योग :	**38**	**38**	**–**	**468**	**307190**	**38**	**–**
	प्रतिशत		**100**				**100**	

3.4.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि बचत सदस्यों द्वारा की जाती है तथा चयनित 38 समूहों द्वारा वर्ष 2005–06 में राशि 307,190/– प्रति समूह रूपये 8084/– की बचत प्रतिमाह औसतन राशि 674/– रूपये की बचत की गयी जो प्रति सदस्य औसतन 56/– रूपये प्रतिमाह बचत को दर्शाता है। अतः बचत राशि कम होने से बचत राशि को बढ़ाये जाने हेतु सदस्यों को अभिप्रेरित करने के प्रयास किये जाने चाहिए। सर्वेक्षण में सभी उत्तरदाताओं ने मत व्यक्त किया कि बचत राशि को बैंक में जमा करायी जाती है।

3.5 **स्वयं सहायता समूह को बचत एवं साख समिति में परिवर्तन का विवरण** :

3.5.1 सर्वेक्षण के दौरान स्वयं सहायता समूह को बचत एवं साख समिति में परिवर्तन की जानकारी प्राप्त की गयी, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिला	निकाय संख्या	समूह संख्या	बचत साख समिति में परिवर्तित		हाँ तो राशि का विवरण	नहीं तो कारण (कोड)				
				हाँ	नहीं		1	2	3	4	5
1	जयपुर	2	5	–	5	–	3	1	1	–	–
2	उदयपुर	2	10	–	10	–	10	–	–	–	–
3	कोटा	2	10	8	2	1.01	–	–	–	2	–
4	अजमेर	2	9	7	2	0.90	–	–	–	–	2
5	पाली	1	4	1	3	0.11	2	–	1	–	–
	योग :	**9**	**38**	**16**	**22**	**2.02**	**15**	**1**	**2**	**2**	**2**
	प्रतिशत			**42.11**	**57.89**		**68.18**	**4.55**	**9.09**	**9.09**	**9.09**

कोड :

1. एक वर्ष पूरा नहीं होना
2. सदस्यों को जानकारी नहीं होना
3. परियोजना अधिकारी से स्वीकृति नहीं
4. सदस्यों के बचत खाते में राशि कम होने
5. समूह के नियमित रूप से कार्य नहीं करने।

3.5.2 तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चयनित समूहों में से 16(42.11 प्रतिशत) ने साख एवं बचत समिति में परिवर्तित की जानकारी दी एवं शेष 22(57.89 प्रतिशत) ने नहीं दी। साख एवं बचत समूहों को राशि 2.02 लाख का रिवॉल्विंग फण्ड स्वीकृत किया गया अर्थात प्रति समूह राशि 0.13 लाख का रिवॉल्विंग फण्ड स्वीकृत किया गया और विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि औसतन 1083 प्रति सदस्य की राशि स्वीकृत की गयी जो निर्धारित मानदण्ड 1000 रूपये से 8.33 प्रतिशत अधिक है। अर्थात मानदण्ड से अधिक की राशि स्वीकृत की गयी। जिन उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया कि परिवर्तित नहीं किया उनमें से 15(68.18 प्रतिशत) ने एक वर्ष पूरा नहीं होना, 1(4.55 प्रतिशत) ने सदस्यों को जानकारी नहीं होना एवं प्रत्येक 2(9.09 प्रतिशत) ने क्रमशः परियोजना अधिकारी से स्वीकृत नहीं होने, सदस्यों के बचत खाते में राशि कम होने, समूह के नियमित रूप से कार्य नहीं करने के कारण बताये गये।

3.6 **बचत राशि के संधारण का विवरण** :

3.6.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान समूह द्वारा की जा रही बचत के संधारण की जानकारी प्राप्त की गयी, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र.सं.	जिला	निकाय संख्या	समूह संख्या	बचत का संधारण	
				हाँ	नहीं
1	जयपुर	2	5	5	–
2	उदयपुर	2	10	10	–
3	कोटा	2	10	10	–
4	अजमेर	2	9	9	–
5	पाली	1	4	4	–
	योग :	**9**	**38**	**38**	**–**
	प्रतिशत			**100**	

3.6.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि बचत का संधारण अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव द्वारा किया जाता है। 94.74 प्रतिशत उत्तरदाता के अनुसार बचत से ऋण स्वीकृत किया जाता है तथा 5.26 प्रतिशत ने नहीं व्यक्त किया जिसका कारण जरूरत नहीं पड़ी होना व्यक्त किया गया।

3.7 **ऋण स्वीकृत का विवरण** :

3.7.1 चयनित 38 समूहों में से 36 समूह द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाना व्यक्त किया गया जिसका पिछले तीन साल में वितरित किये गये ऋण का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिला	निकाय संख्या	समूह संख्या	वर्षवार ऋण स्वीकृति का विवरण									
				2003–03		2004–05		2005–06		योग		समूह की बचत के अतिरिक्त अन्य संस्था से लिया गया ऋण	योग
				सदस्य	ऋण	सदस्य	ऋण	सदस्य	ऋण	सदस्य	ऋण		
1	जयपुर	2	4 (60)	14	0.30	17	0.27	22	0.65	53	1.22	–	1.22
2	उदयपुर	2	10 (122)	4	0.03	7	0.18	42	0.40	53	0.61	–	0.61
3	कोटा	2	9 (108)	27	0.21	53	0.68	64	1.15	144	2.04	–	2.04
4	अजमेर	2	9 (106)	38	0.94	48	1.57	49	1.62	135	3.84	0.29	4.13
5	पाली	1	4 (43)	निल	निल	5	0.11	5	0.10	10	0.21	–	0.21
	योग :	**9**	**36 (439)**	**83**	**1.48**	**130**	**2.81**	**182**	**3.92**	**395**	**7.92**	**0.29**	**8.21**
	प्रतिशत			**18.90**		**29.61**		**41.46**		**89.98**	**96.47**	**3.53**	**100**

नोट : कोष्ठक में सदस्यों की संख्या दी गयी है।

3.7.2 तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चयनित समूहों द्वारा वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक कुल राशि 8.21 लाख का ऋण 395 सदस्यों को स्वीकृत किया गया। स्वीकृत किये गये ऋण में से राशि 7.92 लाख(96.47 प्रतिशत) समूह की बचत से व शेष राशि 0.29(3.53 प्रतिशत) अन्य संस्था द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया।

3.7.3 तालिका के वर्षवार विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2005–06 में सबसे अधिक 182(41.46 प्रतिशत) सदस्यों द्वारा ऋण लिया गया। जो इंगित करता है कि समूह के सदस्यों में वर्ष 2003–04 में जहाँ 83(18.90 प्रतिशत)ने ऋण लिया था की तुलना में 99(119.28 प्रतिशत) ने अधिक ऋण लिया अर्थात सदस्यों में अपनी आवश्यकता हेतु समूह बचत से ऋण लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। तालिका से यह भी ज्ञात होता है कि प्रति सदस्य द्वारा औसतन राशि 2078/– का ऋण लिया गया।

3.7.4 सर्वेक्षण में जानकारी दी गयी कि समूह की बचत का 50 से 80 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में सदस्यों को स्वीकृत की जाती है। जिस पर 35(92.11 प्रतिशत) ने बताया कि ऋण पर एक प्रतिशत ब्याज लिया जाता है।

3.8 सदस्यों को स्वीकृत किये गये ऋण का उद्धेश्य :

3.8.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित समूहों से स्वीकृत ऋण के उद्धेश्यों की जानकारी प्राप्त की गयी, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	जिला	निकाय संख्या	समूह संख्या	उद्धेश्य का विवरण (कोड)				ऋण की अदायगी नियमित		नहीं तो कारण कोड			
				1	2	3	4	हाँ	नहीं	1	2	3	4
1	जयपुर	2	4	2	–	2	–	4	–	–	–	–	–
2	उदयपुर	2	10	2	1	6	1	8	2	–	–	–	–
3	कोटा	2	9	1	–	8	–	8	1	1	1	1	–
4	अजमेर	2	9	–	–	9	–	3	6	3	–	–	3
5	पाली	1	4	–	–	4	–	4	–	–	–	–	–
	योग :	**9**	**36**	**5**	**1**	**29**	**1**	**27**	**9**	**4**	**1**	**1**	**3**
	प्रतिशत			**13.88**	**2.77**	**77.77**	**2.77**	**75.00**	**25.00**	**44.45**	**11.11**	**11.11**	**33.33**

कोड उद्धेश्य :

1. जनता उद्योग एवं झाड़ू पंखी चटाई
2. सिलाई कढ़ाई हैण्डी क्राफ्ट
3. घरेलू आवश्यकताओं
4. अन्य व्यवसाय

कोड कारण :

1. आर्थिक स्थिति कमजोर होना
2. व्यवसाय नहीं चलना
3. आपसी समन्वय का अभाव
4. ऋण की किश्त नियमित नहीं देते, केवल ब्याज देते हैं।

3.8.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ऋण स्वीकृत 36 समूहों में से 5 (13.88 प्रतिशत) ने जूता उद्योग एवं झाड़ू पंखी चटाई व्यवसाय, 1(2.77 प्रतिशत) ने सिलाई, कढ़ाई व हेण्डीक्राफ्ट, 29(77.77 प्रतिशत) ने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति एवं 1(2.77 प्रतिशत) ने अन्य व्यवसाय हेतु ऋण लेना बताया है।

3.8.3 तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि 27(75.00 प्रतिशत) ने ऋण की अदायगी नियमित एवं शेष 9(25.00 प्रतिशत) ने नियमित नहीं होना व्यक्त किया जिसमें 4(25.00 प्रतिशत) ने आर्थिक स्थिति कमजोर, प्रत्येक 1(11.11 प्रतिशत) ने व्यवसाय नहीं चलना, व आपसी समन्वय का अभाव तथा शेष 3(33.33 प्रतिशत) ने ऋण की किश्त नियमित नहीं देते (केवल ब्याज देते हैं) बताया है।

3.8.4 अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अधिकतर सदस्यों द्वारा घरेलू आवश्यकताओं हेतु ऋण लिया गया एवं ऋण की अदायगी भी सामान्यतः नियमित की है।

3.9 **ऋण की किश्त का विवरण** :

3.9.1 सर्वेक्षण में चयनित समूहों से ऋण की किश्त की जानकारी प्राप्त की गयी, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	निकाय संख्या	समूह संख्या	किश्त की राशि (प्रतिमाह)			
				100–500	501–1000	1000 से अधिक	योग
1	जयपुर	2	4	3	1	–	4
2	उदयपुर	2	8	8	–	–	8
3	कोटा	2	8	8	–	–	3
4	अजमेर	2	3	3	–	–	3
5	पाली	1	4	2	1	1	4
	योग :	**9**	**27**	**24**	**2**	**1**	**27**
	प्रतिशत			**88.89**	**7.41**	**3.70**	**100**

3.9.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि नियमित किश्त का भुगतान व्यक्त करने वाले 27 समूहों में से 24(88.89 प्रतिशत) ने 100 से 500 रूपये प्रतिमाह किश्त देना, 2(7.41 प्रतिशत) ने 501 से 1000 तक किश्त देना एवं 1(3.70 प्रतिशत) ने 1000 से अधिक मासिक किश्त देना बताया। अतः स्पष्ट है कि अधिकतर 100 से 500 प्रतिमाह की किश्त देते हैं। शत प्रतिशत ने व्यक्त किया कि किश्त नकद रूप में दी जाती है।

3.10 **बैंक ऋण का विवरण** :

3.10.1 समूह की बचत के अतिरिक्त बैंक से लिये गये ऋण के संबंध में विवरण प्राप्त किया गया, जिसको निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	निकाय संख्या	समूह संख्या	बैंक से ऋण		ऋण राशि	सदस्य संख्या	नहीं तो कारण कोड			
				हाँ	नहीं			1	2	3	4
1	जयपुर	2	5	1	4	0.25	15	4	–	–	–
2	उदयपुर	2	10	–	10	–	–	8	2	–	–
3	कोटा	2	10	3	7	2.66	35	7	–	–	–
4	अजमेर	2	9	–	9	–	–	–	–	9	–
5	पाली	1	4	–	4	–	–	–	–	–	4
	योग :	**9**	**38**	**4**	**34**	**2.91**	**50**	**19**	**2**	**9**	**4**
	प्रतिशत			**10.53**	**89.47**			**55.88**	**5.88**	**26.47**	**11.16**

कोड :

1. आवश्यकता नहीं पड़ी
2. आवेदन नहीं किया
3. एक वर्ष नहीं हुआ
4. इकाई प्रारम्भ नहीं, व्यापार नहीं किया।

3.10.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चयनित 38 समूहों में से 4(10.53 प्रतिशत) द्वारा बैंक से ऋण लेना स्वीकारा है जबकि 34(89.47 प्रतिशत) ने नहीं। जिन समूहों द्वारा बैंक से ऋण लिया गया उनके द्वारा राशि 2.91 लाख का ऋण 50 सदस्यों के लिये लिया गया अर्थात प्रति सदस्य 5820 रूपये का ऋण लिया गया।

3.10.3 क्रमशः जिन समूहों द्वारा ऋण नहीं लिया गया उनमें से 19(55.88 प्रतिशत) ने आवश्यकता नहीं, 2(5.88 प्रतिशत) ने आवेदन नहीं, 9(26.47 प्रतिशत) ने एक वर्ष नहीं हुआ, 4(11.16 प्रतिशत) ने इकाई प्रारम्भ नहीं, व्यापार नहीं किया व्यक्त किया। अतः स्पष्ट है कि अधिकतर समूहों द्वारा बैंक से ऋण नहीं लिया गया। बैंक से 4 द्वारा लिये गये ऋण में से 1 (25.00 प्रतिशत) ने बताया कि 50 प्रतिशत अनुदान मिला शेष 3 (75.00 प्रतिशत) ने नहीं मिला व्यक्त किया, अनुदान के संबंध में जानकारी नहीं, अनुदान स्वीकृत नहीं किया व्यक्त किया गया।

3.11 **आय वृद्धि का विवरण** :

3.11.1 समूह के सदस्यों की लिये गये ऋण से स्थापित इकाई से आय में वृद्धि की जानकारी प्राप्त की गयी, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	जिला	निकाय संख्या	समूह संख्या	आय में वृद्धि		हाँ तो किस प्रकार(कोड)		नहीं तो कारण (कोड)		
				हाँ	नहीं	1	2	1	2	3
1	जयपुर	2	4	3	1	3	–	1	–	–
2	उदयपुर	2	10	4	6	1	3	6	–	–
3	कोटा	2	9	2	7	1	1	6	1	–
4	अजमेर	2	9	–	9	–	–	5	–	4
5	पाली	1	4	4	–	–	4	–	–	–
	योग :	**9**	**36**	**13**	**23**	**5**	**8**	**18**	**1**	**4**
	प्रतिशत			**36.11**	**63.89**	**38.46**	**61.54**	**78.26**	**4.35**	**17.39**

कोड हाँ :

1. ऑफ सीजन में कच्चा माल क्रय करने में सहायता मिली
2. पुराने धन्धे में उपयोग किया।

कोड नहीं :

1. घरेलू कार्य में लेने
2. तालमेल नहीं
3. ऋण राशि कम होना।

3.11.2 तालिका से स्पष्ट होता है कि ऋण प्राप्त 36 समूहों में से 13(36.11 प्रतिशत) ने आय में वृद्धि व शेष 23(63.89 प्रतिशत) ने वृद्धि नहीं हुई बताया है। आय में वृद्धि व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं में से 5(38.46 प्रतिशत) ने ऑफ सीजन में कच्चा माल क्रय करने में सहायता मिली अर्थात आय में वृद्धि के उपरान्त यह सम्भव हुआ, 8 (61. 54 प्रतिशत) ने पुराने धन्धे में उपयोग किया जाना बताया है।

3.11.3 तालिका से यह भी ज्ञात होता है कि ना में मत व्यक्त करने वाले 23 उत्तरदाताओं में से 18(78.26 प्रतिशत) ने घरेलू कार्य में लेने, 1(4.35 प्रतिशत) ने तालमेल नहीं, 4(17.39 प्रतिशत) ने ऋण राशि कम होने से आय में वृद्धि नहीं बताया गया।

3.12 **आय वृद्धि से आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में पड़े प्रभाव का विवरण** :

3.12.1 आय में वृद्धि व्यक्त करने वाले समूहों से आर्थिक/सामाजिक क्षेत्र में पड़े प्रभाव का विवरण प्राप्त किया गया, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

क्र. सं.	जिला	निकाय संख्या	समूह संख्या	आर्थिक प्रभाव		किस प्रकार (कोड)		सामाजिक स्तर		किस प्रकार (कोड)	
				हाँ	नहीं	1	2	हाँ	नहीं	1	2
1	जयपुर	2	3	3	–	3	–	2	1	2	–
2	उदयपुर	2	4	3	1	3	–	3	–	3	–
3	कोटा	2	2	2	–	1	1	2	–	1	1
4	अजमेर	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	पाली	1	4	4	–	3	1	4	–	–	4
	योग :	**9**	**13**	**12**	**1**	**10**	**2**	**11**	**1**	**6**	**5**
	प्रतिशत			**92.31**	**7.69**	**88.33**	**16.67**	**91.67**	**8.33**	**54.55**	**45.45**

आर्थिक प्रभाव किस प्रकार कोड :

1. घरेलू व्यवसाय चल रहा है
2. ऑफ सीजन में कच्चा माल क्रय किया गया।

सामाजिक स्तर किस प्रकार कोड :

1. घरेलू जरूरतों हेतु आसानी से ऋण प्राप्त होना
2. रहन सहन स्तर में सुधार होना।

3.12.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि आय में वृद्धि व्यक्त करने वाले 13 समूहों में से 12(92.31 प्रतिशत) ने बताया कि आय में वृद्धि हुई। 10(88.33 प्रतिशत) ने घरेलू व्यवसाय चल रहा है, 2(16.67 प्रतिशत) ने ऑफ सीजन में सस्ता माल क्रय किया गया। सामाजिक क्षेत्र में 11(91.67 प्रतिशत) ने प्रभाव पड़ना व्यक्त किया। 1(8.33 प्रतिशत) ने नहीं में मत व्यक्त किया। 6(54.55 प्रतिशत) ने घरेलू जरूरतों हेतु आसानी से ऋण प्राप्त हो जाना बताया। 5(45.45 प्रतिशत) ने रहनसहन के स्तर में सुधार होना बताया। सर्वेक्षण में 1(7.69 प्रतिशत) उत्तरदाता समूह ने व्यक्त किया कि प्रभाव नहीं पड़ा। उनके द्वारा बताया गया कि ऋण से कोई आर्थिक गतिविधियाँ व्यवसाय प्रारम्भ नहीं किया गया, ऋण राशि कम होना व्यक्त किया गया।

3.12.3 अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सामान्यतः अपेक्षित स्तर तक आय में वृद्धि नहीं हुई है।

3.13 **कठिनाईयाँ** :

3.13.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित समूहों से योजना क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों की जानकारी प्राप्त की गयी, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र.सं.	जिला	निकाय संख्या	समूह संख्या	कठिनाईयाँ	
				हाँ	नहीं
1	जयपुर	2	5	5	–
2	उदयपुर	2	10	7	3
3	कोटा	2	10	7	3
4	अजमेर	2	9	9	–
5	पाली	1	4	2	2
	योग :	**9**	**38**	**30**	**8**
	प्रतिशत			**78.95**	**21.05**

3.13.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चयनित समूहों में से 30 (78.95 प्रतिशत) ने कठिनाई आना व्यक्त किया शेष 8(21.05 प्रतिशत) ने नहीं व्यक्त किया। हाँ में मत व्यक्त करने वाले समूहों ने निम्न कठिनाईयाँ व्यक्त की :–

1. उचित मार्गदर्शन का अभाव
2. व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव
3. बैंक का सहयोग नहीं मिलना
4. समूह के सदस्य अशिक्षित होने से संचालन में परेशानी
5. महिलाओं में रूचि का अभाव
6. समूह सदस्यों में तालमेल नहीं
7. निकाय द्वारा समय–समय पर निरीक्षण नहीं करना
8. प्रचार प्रसार की कमी
9. ऋण पश्चात् पुनः भुगतान नहीं करना

3.14 **स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के संबंध में चयनित जिलों में कार्यरत बैंकों से विचार प्राप्त किये गये, जिसका विवरण निम्न मदों में प्रस्तुत किया जा रहा है** :–

3.14.1 अध्ययन हेतु चयनित शत प्रतिशत 13 बैंकों ने मत व्यक्त किया कि उनके क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। ऋण के संबंध में 5 (38.46 प्रतिशत) ने बताया कि ऋण का लाभ दिया जा रहा है, 8(61.54 प्रतिशत) ने नहीं में मत व्यक्त किया। ऋण का लाभ दिये जा रहे बैंकों ने बताया कि समूह द्वारा आवेदन के सात दिन में ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है। छः माह तक समूह ठीक तरीके से संचालित हो एवं बैंक में खाता खोलने, रिवॉल्विंग फण्ड व उसके उपयोग व संचालन के छः माह बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। शत प्रतिशत का मत था कि समूहों द्वारा बचत को बैंक में बचत खाते में जमा कराया जाता है।

3.14.2 ऋण का लाभ दिये जा रहे 5 बैंकों में से 4(80.00 प्रतिशत) ने बताया कि ऋण पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है, 1 (20.00 प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया। ऋण पर अनुदान 50 प्रतिशत स्वीकृत किया जाता है। चयनित बैंकों के कार्यक्षेत्र में 118 स्वयं सहायता समूह हैं जिनको ऋण समूह की गतिविधियों व क्षमता के आधार पर आवेदन प्रस्तुत करने पर, ऋण शहरी क्षेत्र में बिना अनुदान के स्वीकृत किया जाता है, समूह की गारन्टी पर सदस्यों का व्यवसाय हेतु ऋण स्वीकृत किया जाता है। कार्य क्षेत्र में आने वाले समूहों में से 25 से 30 प्रतिशत समूहों द्वारा ऋण का लाभ लिया गया। ऋण बचत खाते में जमा पर स्वीकृत किया जाता है। ऋण वितरण चेक के द्वारा किया जाता है। ऋण जमा का 4 गुना एवं 9 से 11.50 प्रतिशत की ब्याज दर पर स्वीकृत किया जाता है। ऋण का भुगतान 3 से 5 वर्ष में किश्तों में किया जाता है। किश्त ब्याज को सम्मिलित करते हुए निर्धारित की जाती है।

3.14.3 सर्वेक्षण में चयनित बैंकों से कार्यक्रम के संचालन में आ रही कठिनाईयों का विवरण प्राप्त किया गया, जो निम्न प्रकार है :–

1. समूह द्वारा ऋण का भुगतान नियमित नहीं किया जाता
2. समूह में तालमेल के अभाव में व्यवसाय ठीक नहीं चलाता
3. समूह में अधिक निरक्षर सदस्य होने के कारण बैंक में सही दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करते जिससे विलम्ब हो जाता है।

3.14.4 उपरोक्त दर्शायी गयी कठिनाईयों को दूर करने हेतु चयनित बैंकों ने सुझाव दिये, जो क्रमशः प्रशासन को वसूली में सहायता की जानी चाहिए एवं किश्तों कोजमा कराने हेतु पाबन्द किया जाना चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, समूह में शिक्षित सदस्य होने चाहिए, जिससे कार्यवाही में पूरा सहयोग प्राप्त हो व सदस्यों का आर्थिक व बौद्धिक विकास हो सके।

3.14.5 उपरोक्त दिये गये सुझावों के अतिरिक्त सर्वेक्षण में चयनित बैंकों से कार्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाने हेतु भी सुझाव प्राप्त किये गये, जो निम्न प्रकार है :–

1. विभाग द्वारा संचालित समूहों को एक वर्ष की अवधि में ऋण एवं साख समितियों में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
2. सदस्यों को अधिक लाभ प्रदान करने हेतु एक वर्ष उपरान्त समूह का रिवॉल्विंग फण्ड बैंक में जमा करवाया जाना चाहिए, जिससे खाते से अधिक राशि का ऋण स्वीकृत हो सके।

3.15 स्वयं सहायता समूह योजना अन्तर्गत गठित किये गये समूह एवं उनकी कार्यप्रणाली व समूह गठन से सदस्यों को प्राप्त लाभ का विवरण अग्रांकित मदों में प्रस्तुत किया जा रहा है।

3.16 **चयनित लाभ प्राप्तकर्ताओं का विवरण** :

अध्ययन हेतु चयनित लाभ प्राप्तकर्ताओं का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	जिला	नगर निकाय संख्या	लाभ प्राप्तकर्ता का जातिवार विवरण					योग	बी.पी.एल. परिवार है	
			अनु. जाति	अनु. जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अल्प संख्यक	अन्य		हाँ	नहीं
1	जयपुर	2	22	–	2	1	–	25	25	–
2	उदयपुर	2	11	–	19	–	20	50	50	–
3	कोटा	2	3	–	35	11	1	50	50	–
4	अजमेर	2	27	–	12	1	5	45	45	–
5	पाली	1	7	–	10	3	–	20	20	–
	योग :	**9**	**70**	**–**	**78**	**16**	**26**	**190**	**190**	**–**
	प्रतिशत		**36.85**		**41.25**	**8.42**	**13.68**	**100**	**100**	

3.16.1 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित 190 लाभ प्राप्तकर्ताओं में से सबसे अधिक पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति के लाभप्राप्तकर्ता हैं, जिनका प्रतिशत क्रमशः 36.85 एवं 41.25 है एवं शत प्रतिशत बी.पी.एल. परिवार से हैं।

3.17 **स्वयं सहायता समूह की जानकारी** :

3.17.1 सर्वेक्षण के दौरान लाभ प्राप्तकर्ताओं से गठित किये गये स्वयं सहायता समूह की जानकारी प्राप्त की गयी, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	जिला	निकाय की संख्या	चयनित लाभ प्राप्तकर्ता	स्वयं सहायता समूह चलाये जा रहे हैं		गठन का वर्ष							
				हाँ	नहीं	1997	2001	2002	2003	2004	2005	2006	योग
1	जयपुर	2	25	25	–	–	–	–	5	10	–	10	25
2	उदयपुर	2	50	50	–	–	–	7	26	15	2	–	50
3	कोटा	2	50	50	–	50	–	–	–	–	–	–	50
4	अजमेर	2	45	45	–	–	25	10	–	10	–	–	45
5	पाली	1	20	20	–	–	1	–	–	11	3	5	20
	योग :	**9**	**190**	**190**	**–**	**50**	**26**	**17**	**31**	**46**	**5**	**15**	**190**
	प्रतिशत					**26.32**	**13.68**	**8.95**	**16.31**	**24.21**	**2.63**	**7.89**	**100**

3.17.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शत प्रतिशत चयनित लाभ प्राप्तकर्ताओं का मत था कि स्वयं सहायता समूह चलाये जा रहे हैं। लाभ प्राप्तकर्ताओं ने जानकारी में क्रमशः 50(26.32 प्रतिशत) , 31(16.31 प्रतिशत) , 46(24.21 प्रतिशत) व 26(13.68 प्रतिशत) वर्ष 1997, 2003, 2004 एवं 2001 से संचालित किये जा रहे हैं, व्यक्त किया। शत प्रतिशत उत्तरदाता स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं एवं शत प्रतिशत ने जानकारी दी कि सदस्य प्रतिमाह बचत कर ऋण समूह से प्राप्त करते हैं।

3.18 समूह की कार्य प्रणाली का विवरण :

3.18.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	जिला	निकाय संख्या	लाभ प्राप्तकर्ता	समूह की कार्यप्रणाली से सन्तुष्ट		बचत की जा रही है		कितनी बचत (प्रति माह रुपयों में)			
				हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	30/–	40/–	50/–	100/–
1	जयपुर	2	25	25	–	25	–	–	–	25	–
2	उदयपुर	2	50	50	–	50	–	–	–	40	10
3	कोटा	2	50	39	11	50	–	5	–	40	5
4	अजमेर	2	45	44	1	43	2	5	10	23	5
5	पाली	1	20	20	–	20	–	–	–	5	15
	योग :	**9**	**190**	**178**	**12**	**188**	**2**	**10**	**10**	**133**	**35**
	प्रतिशत			**93.68**	**6.32**	**98.95**	**1.05**	**5.32**	**5.32**	**70.74**	**18.62**

3.18.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित 190 लाभ प्राप्तकर्ताओं में से 178(93.68 प्रतिशत) उत्तरदाता समूह की कार्यप्रणाली से सन्तुष्ट थे। शेष 12(6.32 प्रतिशत) सन्तुष्ट नहीं थे, जिसका कारण ऋण राशि कम मिलना, महिलाओं में पर्याप्त रूचि नहीं होना, बैंक से ऋण नहीं मिलना, सरकार से सहयोग नहीं मिलना हैं। तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में से 188 (98.95 प्रतिशत) ने समूह द्वारा बचत किया जाना व्यक्त किया। शेष 2(1.05 प्रतिशत) ने नहीं किया जाना व्यक्त किया। जानकारी में 10(5.32 प्रतिशत) द्वारा 30/– रूपये, 10(5.32 प्रतिशत) द्वारा 40 रूपये व 133(70.74 प्रतिशत) द्वारा 50 रूपये प्रतिमाह सदस्यों द्वारा बचत किया जाना बताया गया। इसके अतिरिक्त 35(18.62 प्रतिशत) द्वारा 100 रूपये प्रतिमाह की भी बचत की जा रही है। अतः स्पष्ट है कि सबसे अधिक 50 रूपये प्रतिमाह सदस्यों द्वारा बचत की जा रही है। जिन दो उत्तरदाताओं ने ना में मत व्यक्त किया उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गयी।

3.19 **जमा राशि के उपयोग का विवरण** :

3.19.1 सर्वेक्षण में समूह सदस्यों से जमा की गयी राशि के उपयोग की जानकारी प्राप्त की गयी, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	जिला	चयनित निकाय संख्या	लाभ प्राप्तकर्ता संख्या	बचत की उपयोगिता का विवरण		रिवॉल्विंग फण्ड स्वीकृत		आर्थिक स्थिति मजबूत है	
				1	2	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
1	जयपुर	2	25	22	3	–	25	–	–
2	उदयपुर	2	50	50	–	–	50	–	–
3	कोटा	2	50	50	–	40	10	40	–
4	अजमेर	2	45	45	–	35	10	35	–
5	पाली	1	20	20	–	5	15	5	–
	योग :	**9**	**190**	**187**	**3**	**80**	**110**	**80**	**–**
	प्रतिशत			**98.42**	**1.58**	**42.11**	**57.89**	**100**	

3.19.2 तालिका से ज्ञात होता है कि चयनित 190 उत्तरदाताओं में से 187 (98.42 प्रतिशत) उत्तरदाता का मत था कि बचत में से सदस्यों को ऋण आवश्यकतानुसार प्रदान किया जाता है। शेष 3(1.58 प्रतिशत) ने बताया कि समूह नया है।

3.19.3 तालिका से यह भी स्पष्ट है कि जिन 187 उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया कि ऋण स्वीकृत किये जाते हैं। उनमें से 80(42.11 प्रतिशत) ने बताया कि 1000/– प्रति सदस्य के आधार पर रिवॉल्विंग फण्ड स्वीकृत किया गया। 110(57.89 प्रतिशत) ने ना में मत व्यक्त किया। शत प्रतिशत ने व्यक्त किया कि रिवॉल्विंग फण्ड स्वीकृत होने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। सर्वेक्षण में रिवॉल्विंग फण्ड स्वीकृत नहीं होने के क्रमशः अभी तक समूह की कोई गतिविधि नहीं हुई, एक वर्ष नहीं हुआ कारण व्यक्त किये गये।

3.20 **बचत व लेनदेन का संधारण** :

3.20.1 सर्वेक्षण में शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया कि बचत व लेनदेन का संधारण समूह के सचिव द्वारा किया जाता है एवं प्रत्येक सदस्य को पासबुक जारी की जाती है।

3.21 **समूह से प्राप्त लाभ का विवरण** :

3.21.1 सदस्य लाभ प्राप्तकर्ताओं से उनके द्वारा प्राप्त लाभ की जानकारी प्राप्त की गयी, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	निकाय संख्या	चयनित लाभ प्राप्तकर्ता	लाभ प्राप्त किया		ऋण का विवरण						
				हाँ	नहीं	1000	1000–2000	2000–3000	3000 – 4000	4000–5000	5000 से अधिक	उत्तर नहीं दिया
1	जयपुर	2	25	19	6	–	14	2	1	1	1	–
2	उदयपुर	2	50	26	24	5	15	1	–	–	–	5
3	कोटा	2	50	45	5	4	26	6	1	4	4	–
4	अजमेर	2	45	42	3	–	15	9	4	6	8	–
5	पाली	1	20	7	13	2	4	–	–	–	1	–
	योग :	**9**	**190**	**139**	**51**	**11**	**74**	**18**	**6**	**11**	**14**	**5**
	प्रतिशत			**73.16**	**26.84**	**7.91**	**53.24**	**12.95**	**4..32**	**7.91**	**10.07**	**3.60**

3.21.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित 190 उत्तरदाताओं में से 139 (73.16 प्रतिशत) ने समूह से ऋण प्राप्त कर लाभ प्राप्त किया शेष 51(26.84 प्रतिशत) ने कोई लाभ प्राप्त नहीं किया। जिन लाभप्राप्तकर्ता ने ऋण प्राप्त किया उसमें से क्रमशः 11(7.91 प्रतिशत) ने 1000 से कम, 74(53.24 प्रतिशत) ने 1000 से 2000 की राशि का, 18(12.95 प्रतिशत) ने 2000 से 3000 तक की राशि का, 6(4.32 प्रतिशत) ने 3000 से 4000 तक की राशि एवं 11(7.91 प्रतिशत) ने 4000 से 5000 तक की राशि का ऋण प्राप्त किया। केवल 14(10.07 प्रतिशत) ने ही 5000 से अधिक की राशि का ऋण प्राप्त किया। शेष 5(3.60 प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया।

3.21.3 अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सदस्यों द्वारा सबसे अधिक 1000 से 2000 एवं 2000 से 3000 तक का ऋण लिया गया।

3.22 लिये गये ऋण का उद्धेश्य :

3.22.1 सदस्यों द्वारा समूह से लिये गये ऋण के उद्धेश्य की जानकारी प्राप्त की गयी, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता संख्या	कोड					
			1	2	3	4	5	6
1	जयपुर	19	5	14	–	–	–	–
2	उदयपुर	26	15	8	1	2	–	–
3	कोटा	45	31	8	1	–	3	2
4	अजमेर	42	40	2	–	–	–	–
5	पाली	7	6	1	–	–	–	–
	योग :	**139**	**97**	**33**	**2**	**2**	**3**	**2**
	प्रतिशत		**69.78**	**23.74**	**1.44**	**1.44**	**2.16**	**1.44**

कोड :

1. घरेलू हेतु
2. व्यवसाय हेतु
3. किराना हेतु
4. कृषि कार्य एवं मकान कार्य
5. रेडीमेड गारमेन्ट हेतु

3.22.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि लाभ प्राप्तकर्ता 139 उत्तरदाताओं में से क्रमशः 97(69.78 प्रतिशत) ने घरेलू हेतु, 33(23.74 प्रतिशत) ने व्यवसाय हेतु, प्रत्येक 2(1.44 प्रतिशत) ने किराना दुकान, कृषि कार्य एवं मकान में कार्य कराने हेतु ऋण लिया। केवल 3(2.16 प्रतिशत) ने ही रेडीमेड गारमेन्ट हेतु ऋण लिया। अतः स्पष्ट है कि अधिकतर सदस्यों ने घरेलू कार्य हेतु ऋण लिया।

3.23 समूह के अतिरिक्त अन्य संस्था से लिये गये ऋण का विवरण :

3.23.1 सर्वेक्षण में सदस्यों द्वारा समूह से लिये गये ऋण के अतिरिक्त अन्य संस्था से लिये गये ऋण की जानकारी प्राप्त की गयी, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	निकाय संख्या	चयनित उत्तरदाता	अन्य संस्था से ऋण लिया		राशि	संस्था का नाम
				हाँ	नहीं		
1	जयपुर	2	19	2	17	0.50	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
2	उदयपुर	2	26	–	26	–	–
3	कोटा	2	45	5	40	12.30	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
4	अजमेर	2	42	2	40	0.20	निजी सोसायटी
5	पाली	1	7	–	7	–	–
	योग :	**9**	**139**	**9**	**130**	**13.00**	
	प्रतिशत			**6.47**	**93.53**		

3.23.2 तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 139 सदस्यों द्वारा समूह से लिये गये ऋण के अतिरिक्त 9(6.47 प्रतिशत) द्वारा अन्य संस्था से भी राशि 13.00 लाख का ऋण लिया गया। कुल ऋण राशि में से 2(22.22 प्रतिशत) द्वारा 0.50 लाख का ऋण एस.बी.बी.जे. से 5(55.56 प्रतिशत) द्वारा 12.30 लाख का सेन्ट्रल बैंक से एवं 2(22.22 प्रतिशत) द्वारा निजी संस्था से 0.20 लाख का ऋण लिया गया। अतः सदस्य द्वारा समूह के अतिरिक्त अन्य संस्था से भी ऋण का लाभ प्राप्त किया जा रहा है।

3.24 स्वीकृत ऋण की ब्याज दर एवं किश्तों का विवरण :

3.24.1 समूह द्वारा स्वीकृत ऋण पर ब्याज दर एक से दो प्रतिशत एवं संस्था से लिये गये ऋण पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है। समूह ऋण की 100–500 रूपये प्रतिमाह किश्त दी जा रही है। जबकि संस्था से 10 से 12 किश्तों में ऋण का चुकारा किया जा रहा है।

3.25 स्वीकृत ऋण से इकाई स्थापना का विवरण :

3.25.1 ऋण प्राप्त लाभ प्राप्तकर्ताओं से ऋण उपरान्त स्थापित की गयी इकाई की जानकारी प्राप्त की गयी, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	निकाय संख्या	उत्तरदाता संख्या	इकाई स्थापित		इकाई का विवरण (कोड)		नहीं तो उपयोग का विवरण (कोड)				
				हाँ	नहीं	1	2	1	2	3	4	5
1	जयपुर	2	19	–	19	–	–	3	16	–	–	–
2	उदयपुर	2	26	–	26	–	–	15	9	1	1	–
3	कोटा	2	45	12	33	9	3	31	–	–	–	2
4	अजमेर	2	42	2	40	–	2	40	–	–	–	–
5	पाली	1	7	–	7	–	–	6	1	–	–	–
	योग :	**9**	**139**	**14**	**125**	**9**	**5**	**95**	**26**	**1**	**1**	**2**
	प्रतिशत			**10.07**	**89.92**	**64.29**	**35.71**	**76.00**	**20.80**	**0.80**	**0.80**	**1.60**

कोड इकाई विवरण :

1. गारमेन्ट इकाई
2. सब्जी, चुस्की की दुकान

कोड नहीं तो उपयोग :

1. ऋण का उपयोग घरेलू कार्य हेतु
2. पूर्व व्यवसाय में उपयोग
3. किराना
4. कृषि कार्य
5. मकान के उपयोग में

3.25.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऋण स्वीकृत 139 उत्तरदाताओं में से 14(10.07 प्रतिशत) द्वारा प्राप्त ऋण से इकाई स्थापित की शेष 125(89.92 प्रतिशत) द्वारा इकाई स्थापित नहीं की गयी। स्थापित 14 इकाईयों में से 9 (64.29 प्रतिशत) ने गारमेन्ट की इकाई, 5(35.71 प्रतिशत) ने सब्जी चुस्की की दुकान स्थापित की, जिन ऋण प्राप्त 125 उत्तरदाताओं ने इकाई स्थापित नहीं की उनमें से 95(76.00 प्रतिशत) ने ऋण का उपयोग घरेलू कार्य हेतु किया, 26(20.80 प्रतिशत) ने पूर्व के व्यवसाय में उपयोग में लिया शेष प्रत्येक 1(0.80 प्रतिशत) ने किराना, कृषि कार्य, 2(1.60 प्रतिशत) ने मकान के उपयोग में लिया। चयनित जिलों में से केवल कोटा जिले में बैंक से लिये गये ऋण पर 50 प्रतिशत 5 इकाइयों को अनुदान नकद रूप में स्वीकृत किया गया।

3.26 स्थापित इकाई की कार्यशीलता का विवरण :

3.26.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान ऋण से स्थापित इकाई की कार्यशीलता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	निकाय संख्या	स्थापित इकाई	कार्यशील		यदि नहीं तो कोड		
				हाँ	नहीं	1	2	उत्तर नहीं
1	जयपुर	2	–	–	–	–	–	–
2	उदयपुर	2	–	–	–	–	–	–
3	कोटा	2	12	6	6	–	5	1
4	अजमेर	2	2	–	2	2	–	–
5	पाली	1	–	–	–	–	–	–
	योग :	**9**	**14**	**6**	**8**	**2**	**5**	**1**
	प्रतिशत			**42.86**	**57.14**	**25.0**	**62.50**	**12.5**

कोड :

1. घरेलू कारण ऑपरेशन में लगाये जाने
2. परिवार में तालमेल नहीं होने के कारण

3.26.2 तालिका से ज्ञात होता है कि स्थापित 14 इकाईयों में से 6(42.86 प्रतिशत) कार्यशील थी एवं शेष 8(57.14 प्रतिशत) कार्यशील नहीं थी। जिसके 2(25.00 प्रतिशत) ने घरेलू कारण, ऑपरेशन में लगाये जाने से दुकान 2 माह बाद बन्द करनी पड़ी, 5 (62.50 प्रतिशत) ने परिवार के सदस्यों में आपसी तालमेल का अभाव होने के कारण एवं शेष 1(12.50 प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया। स्थापित 14 इकाईयों में से 6(42. 86 प्रतिशत) सुचारू रूप से चल रही है एवं 8(57.14 प्रतिशत) नहीं चल रही थी। जिसके सदस्यों में मतभेद, घरेलू परेशानी के कारण व्यक्त किये गये। इन कठिनाईयों के निवारण हेतु समूह में समन्वय आवश्यकतानुसार ऋण दिये जाने के सुझाव दिये गये।

3.27 इकाई स्थापना से आय पर पड़े प्रभाव का विवरण :

3.27.1 सर्वेक्षण में इकाई स्थापना पश्चात आय पर पड़े प्रभाव की जानकारी प्राप्त की गयी, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र.सं.	चयनित जिला	निकाय संख्या	उत्तरदाता संख्या	आय पर प्रभाव		किस प्रकार(कोड)	जीवन स्तर पर प्रभाव	
				हाँ	नहीं	1	हाँ	नहीं
1	जयपुर	2	–	–	–	–	–	–
2	उदयपुर	2	–	–	–	–	–	–
3	कोटा	2	6	6	–	6	6	–
4	अजमेर	2	–	–	–	–	–	–
5	पाली	1	–	–	–	–	–	–
	योग :	**9**	**6**	**6**	**–**	**6**	**6**	**–**
	प्रतिशत			**100**		**100**	**100**	

कोड : 1. कच्चा माल खरीदने हेतु राशि प्राप्त हुई, व्यवसाय में वृद्धि, आय बढ़ी

3.27.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कार्यशील 6 इकाईयों में से शत प्रतिशत ने व्यक्त किया कि आय पर प्रभाव पड़ा। जिससे कच्चा माल खरीदने के लिए राशि उपलब्ध हुई, व्यवसाय में वृद्धि, आय बढ़ी, रहन–सहन एवं जीवन स्तर में वृद्धि हुई।

3.28 समूह से लाभ प्राप्त करने में कठिनाई :

3.28.1 सर्वेक्षण के दौरान लाभ प्राप्तकर्ताओं से समूह से लाभ प्राप्त करने में आयी कठिनाईयों के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	निकाय संख्या	उत्तर दाता संख्या	कठिनाई		कठिनाईयों का विवरण (कोड)											
				हाँ	नहीं	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जयपुर	2	25	25	–	2	7	20	21	4	2	3	–	–	–	–	–
2	उदयपुर	2	50	22	28	8	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	कोटा	2	50	25	25	–	–	–	1	–	12	1	2	5	–	6	–
4	अजमेर	2	45	13	32	5	–	–	–	–	–	7	1	3	4	–	9
5	पाली	1	20	9	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग :	**9**	**190**	**94**	**96**	**15**	**21**	**20**	**22**	**4**	**14**	**11**	**3**	**8**	**4**	**6**	**9**
	प्रतिशत			**49.47**	**50.53**	**15.96**	**22.34**	**21.28**	**23.40**	**4.26**	**14.89**	**11.70**	**3.19**	**8.51**	**4.26**	**6.38**	**9.57**

नोट : एक से अधिक उत्तर होने के कारण प्रतिशत अधिक है।

कोड :

1. ब्याज अधिक व फ्लेट रेट से लिया जाता है।
2. रिवॉल्विंग फण्ड की राशि नहीं मिली।
3. उचित मार्गदर्शन का अभाव
4. व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव
5. महिलाऐं अशिक्षित होना।
6. बैंक का सहयोग नहीं मिलना।

7. समूह से छोटी राशि का ऋण मिलना।
8. सदस्यों का समय पर ऋण किश्त जमा नहीं कराना।
9. सचिव द्वारा बचत एवं ऋण के बारे में सूचित नहीं करना व बैठक नहीं बुलाना।
10. सचिव द्वारा पक्षपात करना।
11. महिलाओं में रूचि का अभाव।
12. समूह के पास जमा राशि कम होने के कारण ऋण नहीं मिलता।

3.28.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित 190 उत्तरदाताओं में से 94(49.47 प्रतिशत) ने व्यक्त किया कि कठिनाई आयी व 96(50.53 प्रतिशत) ने ना में मत व्यक्त किया। कठिनाईयाँ व्यक्त करने वालों में से क्रमशः 15(15.96 प्रतिशत) ने ब्याज अधिक व फ्लेट रेट से लिया जाता है, 21(22.34 प्रतिशत) ने रिवॉल्विंग फण्ड की राशि नहीं मिली, 20 (21.28प्रतिशत) ने उचित मार्गदर्शन का अभाव, 22 (23.40 प्रतिशत) ने व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव, 14(14.89 प्रतिशत) ने बैंक का सहयोग नहीं मिलना, 11(11.70 प्रतिशत) ने समूह से छोटी राशि का ऋण मिलना, 8(8.51 प्रतिशत) ने सचिव द्वारा बचत व ऋण के बारे में सूचित नहीं करना, बैठक नहीं बुलाना, 6(6.38 प्रतिशत) ने महिलाओं में रूचि का अभाव होना, 9(9.57 प्रतिशत) ने समूह के पास कम राशि होने से ऋण नहीं मिलना इत्यादि मुख्य कठिनाईयाँ व्यक्त की।

3.28.3 सर्वेक्षण के दौरान कठिनाईयों के निवारण हेतु उत्तरदाताओं ने निम्न सुझाव दिये :–

1. ब्याज दर कम की जावे व फ्लेट रेट बन्द की जानी चाहिए।

2. रिवॉल्विंग फण्ड की राशि शीघ्र स्वीकृत की जानी चाहिए।

3. समूह के सदस्यों को समय–समय पर उचित मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए।

4. समूह सदस्यों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

5. समूह में कुछ महिला सदस्य शिक्षित होने चाहिए।

6. कार्यक्रम रोजगारोन्मुख होना चाहिए।

7. नगरपालिका द्वारा समूह से सम्पर्क किया जाना चाहिए एवं महत्व बताना चाहिए।

8. महिला एवं बाल विकास की समूह योजना में निर्धारित बैंक ऋण की सुविधा इस कार्यक्रम में भी होनी चाहिए।

9. ऋण स्वीकृति में पक्षपात नहीं होना चाहिए।

3.29 शासकीय व गैर शासकीय उत्तरदाताओं का मन्तव्य :

3.29.1 अध्ययन हेतु कुल 13 शासकीय व कुल 6 गैर शासकीय व्यक्तियों का चयन कर उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क उपरान्त कार्यक्रम क्रियान्वयन संदर्भ में साक्षात्कार लिया गया था। चयनित 19 अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं का मत था कि उनके शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिनके तहत प्रशिक्षण, जनचेतना शिविर, सी.डी.एस. की मीटिंग आदि कार्य सम्पादित किये जाते हैं। जरूरतमन्द महिलाओं का ऋण प्राप्त हो रहा है परन्तु बी.पी.एल. महिलाओं/परिवारों में शिक्षा के अभाव में महिलाओं को काफी प्रयास के बाद समूह से जोड़ा जाता है। चयनित उत्तरदाताओं में से 12(63.16 प्रतिशत) की राय में कार्यक्रम ठीक प्रकार से चल रहा है, 7(36.84 प्रतिशत) की राय में नहीं। जिन उत्तरदाताओं ने ना में मत व्यक्त किया उनके अनुसार क्रमशः प्रशिक्षण की व्यवस्था समय पर नहीं होती, बजट समय पर नहीं मिलता, महिलाओं में रूचि का अभाव, अशिक्षा, बी.पी.एल. परिवारों में बिखराव की स्थिति होने इत्यादि कारण व्यक्त किये गये। इन कठिनाईयों के समाधान हेतु क्रमशः समय पर प्रशिक्षण व समय पर रिवॉल्विंग फण्ड एवं बैंक का सहयोग आवश्यक है, उचित मॉनिटरिंग आवश्यक है, रिकॉर्ड संधारण करने वाले को मानदेय दिया जाना चाहिए।

3.29.2 चयनित शत प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि समूह द्वारा बचत की जा रही है एवं जानकारी दी गयी कि समूह द्वारा 30 से 100 रूपया प्रति सदस्य द्वारा बचत की जाती है। शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि बचत को बैंक में बचत खाते में जमा करायी जाती है। बचत से आपसी लेनदेन किया जा रहा है। लेनदेन पारिवारिक आवश्यकताओं, व्यवसाय हेतु किया जा रहा है। ऋण बैंक के चैक द्वारा दिया जाता है। चयनित 19 उत्तरदाताओं में से 6(31.58 प्रतिशत) का मत था कि समूह बैंक से व अन्य संस्था से भी ऋण लेते हैं, 13(68..42 प्रतिशत) ने नहीं में मत व्यक्त किया।

3.29.3 चयनित उत्तरदाताओं में से 9(47.37 प्रतिशत) ने जानकारी दी कि ऋण प्राप्त करने में सहायता दी जाती है, 10(52.63 प्रतिशत) ने ना में मत व्यक्त किया। जिन उत्तरदाताओं ने हाँ में मत व्यक्त किया उनमें शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बैंक में आवेदन कर सभी दस्तावेज पूरा कराकर बैंक से सम्पर्क कर कार्यवाही करवाते हैं, ना में मत व्यक्त करने वालों ने व्यक्त किया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार रिवॉल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया जाता है, अन्य संस्था बी.पी.एल. परिवारों को ऋण देने में आनाकानी करती है।

3.29.4 शत प्रतिशत चयनित उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया कि समूह के एक वर्ष तक सफलतापूर्वक कार्य करने के उपरान्त रिवॉल्विंग फण्ड स्वीकृत किया जाता है एवं ऋण एवं साख समूह में परिवर्तित किया जाता है। चयनित उत्तरदाताओं में से 15(78.95 प्रतिशत) ने बताया कि रिवॉल्विंग फण्ड से समूह आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। शेष 4(21.05 प्रतिशत) ने नही बताया जिसका ऋण की किश्त का भुगतान नहीं करना है।

3.29.5 चयनित 19 उत्तरदाताओं में से 14(73.68 प्रतिशत) ने व्यक्त किया कि समूह से लाभ प्राप्त करने के उपरान्त जीवन स्तर में सुधार हुआ है, जिसके अन्तर्गत महिलाऐं आर्थिक रूप से सशक्त हुई है अर्थात ब्याज पर ऋण, कुटीर उद्योग संचालन में सक्षम हुई है।

3.29.6 सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं में सोच बढ़ी है, मनोदशा में परिवर्तन हुआ है, महिलाओं में जागृति आयी है। बचत की आदत में वृद्धि हुई है। रहन–सहन में सुधार हुआ है परन्तु ऋण की किश्त चुकाने में कोई बदलाव नहीं हुआ। परन्तु कार्यक्षेत्र को देखते हुए उक्त बदलाव साधारण स्तर तक ही सीमित हैं।

विशेष :

कार्यक्रम के मूल्यांकन कार्य प्रक्रिया के दौरान पाया गया कि राज्य स्तर पर संधारित सूचना अनुसार जिलों में स्वयं सहायता समूह अस्तित्व में नहीं होते हैं। मसलन पाली नगर परिषद तथा बाँसवाड़ा जिले का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि राज्य स्तर पर आँकड़ों के जाल में स्वयं सहायता समूहों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है एवं कार्यक्रम प्रगति की अद्यतन सूचनाओं के संधारण एवं परीविक्षण पहलुओं को महत्व नहीं दिया जाता है।

अध्याय चतुर्थ

समस्याएँ एवं अनुशंषाएँ

4.0 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा समूह गठन व बैंक से ऋण प्राप्ति व स्वीकृति आदि बिन्दुओं व प्रक्रिया के संबंध में अनुभूत की गई समस्याओं का विवरण विगत अध्यायों में यथास्थान दिया जा चुका है। तथापि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कार्यान्वित स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के मूल्यांकन विधा की अन्वेषण प्रक्रिया के दौरान विभागीय अनुसंधानकर्ताओं ने कार्यक्रम संचालन में अनुभूत समस्याओं एवं उनके समुचित निराकरण के संदर्भ में लाभार्थियान के साथ कार्यकारी विभाग के चयनित पदाधिकारी आदि से विचार आमन्त्रित करने पर उनके द्वारा अभिव्यक्त विचारों एवं अनुसंधानकर्ताओं के मन्तव्य के आधार पर समस्याएँ एवं सुझावात्मक अनुशंषाओं का संक्षिप्त निरूपण निम्न पंक्तियों में क्रमवार दर्शाया जा रहा है।

4.1 **समस्याएँ** :

4.1.1 स्वयं सहायता समूह के मूल्यांकन अध्ययन दौरान पायी गई समस्याओं को क्रमशः निम्न प्रकार दर्शाया जा रहा है :–

1. समूह सदस्यों में समन्वय/तालमेल की कमी एवं रूचि नहीं लेना।

2. समूह बैठकों में सर्वसम्मत निर्णय नहीं लेना।

3. ऋण अदायगी नियमित नहीं होना।

4. उचित मार्गदर्शन का अभाव, प्रचार–प्रसार का अभाव।

5. व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव।

6. बैंक का सहयोग नहीं मिलना।

7. सदस्यों का निरक्षर होना।

8. निकाय द्वारा समय–समय पर समूह के निरीक्षण का अभाव।

9. ब्याज अधिक फ्लेट रेट से लिया जाना।

10. रिवॉल्विंग फण्ड विलम्ब से स्वीकृत होना।

11. छोटी–छोटी राशि का ऋण प्राप्त होना।

12. सचिव द्वारा बचत एवं ऋण के बारे में सूचना नहीं देना, बैठक नहीं बुलाना, पक्षपात करना।

4.2 **अनुशंषाएँ** :

अध्ययन उपरान्त पायी गई समस्याओं के निवारण हेतु अनुशंषाएँ :–

1. प्रतिमाह जमा की जा रही राशि को बढ़ाये जाने हेतु सदस्यों को प्रेरित किया जाना चाहिए।

2. समूह सदस्यों को व्यवसायिक उन्मुख प्रशिक्षण जैसे कार्यक्षमता संवर्द्धन दिया जाना चाहिए ताकि समूह के सदस्य प्रशिक्षण उपरान्त स्व अथवा वेतन रोजगार में लग सकें।

3. समूहों को सफल लेनदेन हेतु अभिप्रेरित किया जाना चाहिए एवं आ रही कठिनाईयों को दूर करने के प्रयास किये जाने चाहिए। एक वर्ष उपरान्त साख व बचत समिति में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

4. बैंक ऋण पर अनुदान का प्रावधान करवाया जाना चाहिए एवं रिवॉल्विंग फण्ड समय पर स्वीकृत किया जाकर बैंक में जमा किया जाना चाहिए जिससे बैंक से अधिक राशि का ऋण स्वीकृत हो सके।

5. समूहों का शत प्रतिशत पंजीयन होना चाहिए एवं समूह से ऋण सरल ब्याज दर पर दिया जाना चाहिए एवं फ्लेट दर बन्द की जानी चाहिए।

6. सदस्यों में समन्वय (तालमेल) के प्रयास किये जाने चाहिए एवं महिलाओं में जागृति पैदा की जानी चाहिए एवं नगर निकाय के अधिकारियों को समय–समय पर निरीक्षण हेतु पाबन्द किया जाना चाहिए।

7. समूह में साक्षर सदस्य होने चाहिए एवं सदस्यों कोऋण की किश्तों को समय पर जमा कराने हेतु शिक्षित एवं पाबन्द किया जाना चाहिए।

8. महिला एवं बाल विकास की समूह योजना में निर्धारित बैंक ऋण सुविधा इस योजना में भी होनी चाहिए, रिकॉर्ड संधारण करने वाले को मानदेय पर विचार किया जाना चाहिए।

9. स्वयं सहायता समूह गठन, बचत हेतु प्रेरित करने तथा बैंक से ऋण उपलब्ध कराने एवं ऋणों के पुर्नभरण हेतु गैर सरकारी संगठनों की सहायता ली जानी चाहिए।

10. एस.एच.जी. द्वारा तैयार उत्पाद के क्रय विक्रय हेतु सरकारी एवं सहकारी स्तर पर व्यवस्था होनी चाहिए ताकि समूह के सदस्यों का उत्पाद का व्यवहारिक मूल्य एवं लाभ मिल सके।

11. गरीब एवं अशिक्षित नगरीय महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन की परिकल्पना के मध्यनजर निष्क्रिय समूहों को उनकी आर्थिक उपादेयता को सिद्ध कर सक्रिय करने की कार्य योजना पर बल दिया जाना चाहिए।

12. सक्रिय एवं सफल समूहों की आर्थिक गतिविधियों एवं कार्यकलापों का इलेक्ट्रोनिक मीडिया के द्वारा सामयिक प्रचार प्रसार करवाया जाना चाहिए ताकि अन्य प्रतियोगी पोषक व्यक्तियों को समूह गठन की चेतना मिलने से स्वयं सहायता समूह नेटवर्क को सम्बल मिल सके।

निष्कर्ष :

शहरी स्वर्ण जयन्ति स्वरोजगार योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम स्वायत्त शासन विभाग के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण में सम्बन्धित नगर निकायों (नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम) द्वारा शहरी निर्धन महिलाओं में बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के आशय से स्वयँ सहायता समूह का गठन किया जाता है; ताकि निर्धन महिलाएँ समूह की आम सहमति से बचत द्वारा संग्रहित धनराशि को बैंक में जमा कराकर उस राशि में से अपनी सामाजिक दैनिक लघु आवश्यकताओं हेतु ऋण प्राप्त कर सकें। महिला स्वयं सहायता समूह एक वर्ष तक सफलतापूर्वक अपनी बचत बैंक में जमा करवाकर आपस में रूपये का लेनदेन पर समूहों को बचत व साख समिति में परिवर्तित कर प्रति सदस्य 1000/– रूपये की दर से अधिकतम रूपये 25000/– तक अनुदान रूप में ''रिवॉल्विंग फण्ड'' दिये जाने का प्रावधान है तथा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित सेवा क्षेत्र के बैंक से निर्धारित शर्तों की सीमान्तर्गत अनुदान रहित ऋण प्राप्त करने की पात्रता है। रिवॉल्विंग फण्ड की विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार प्रति सदस्य 1000 से कम राशि स्वीकृत की गई है जबकि क्षेत्रीय कार्य के दौरान प्राप्त राशि के अनुसार निर्धारित मानदण्ड से अधिक राशि रिवॉल्विंग फण्ड हेतु स्वीकृत की गई।

समूहों का गठन गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों (बी.पी.एल.) से किये गये हैं। प्रत्येक समूह में औसतन 12 सदस्य हैं तथा सर्वेक्षित सभी समूह पंजीकृत पाये गये। समूहों द्वारा कार्यक्रम का संचालन निर्धारित व्यवस्थानुसार किया जाना पाया गया परन्तु समूहों का अपनी बचत बैंक में जमा करवाकर आपस में रूपये का लेनदेन नियमित नहीं करने से नगर निकायों द्वारा समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड स्वीकृत करने की प्रगति कमजोर होने से नगर निकायों को आवंटित राशि का उपयोग कम करना अभिलिखित किया गया है।

गठित समूह सदस्यों द्वारा कम राशि की बचत की जा रही है। बचत राशि को बैंक में जमा करवायी जाती है तथा बचत राशि का लेखा जोखा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव द्वारा संधारित किया जाना पाया गया। सदस्यों द्वारा समूह की बचत राशि से घरेलू लघु आवश्यकताओं के लिए ऋण लेना भी पाया गया परन्तु समूह एवं सदस्यों द्वारा (कोटा जिले को छोड़कर) अन्य ऋणदात्रि संस्थाओं से ऋण लेना नहीं पाया गया। समूह की बचत से 80 प्रतिशत तक राशि ऋण के रूप में एक से दो प्रतिशत ब्याज दर पर स्वीकृत की जाती है जिसकी वसूली रूपये 100 से 500 तक की आसान मासिक किश्तों पर नकद की जाती है। समूह की बचत से ऋण राशि की सुविधा से अधिकांश सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार परिलक्षित हुआ है परन्तु कुछ सदस्यों द्वारा व्यावसायिक इकाई हेतु समूह से ऋण प्राप्त करने के उपरान्त भी इकाई स्थापित नहीं की है। जिन सदस्यों द्वारा इकाई स्थापित की है वह कार्यशील पायी गयी परन्तु इनकी संख्या कम है।

राज्य स्तर पर स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम की मॉनिटरिंग व्यवस्था प्रभावी नहीं होने से जिलेवार समूहों की सही एवं प्रमाणित जानकारी का अभाव देखा गया। सारांशतः शहरी क्षेत्रों में बी.पी.एल. परिवारों से स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है परन्तु विभाग द्वारा प्रतिवेदित समंकों अनुसार स्वयं सहायता समूह सक्रिय नहीं देखे गये। गठित सक्रिय समूह के सदस्यों द्वारा बचत राशि से ऋण प्राप्त करने से उनकी आर्थिक गतिविधियों को सम्बल के साथ जीवन स्तर में सुधार हुआ है। महिलाएँ आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त हुयी है। बचत की प्रवृत्ति से उनमें जागृति के साथ उनके आचार–विचार एवं व्यवहार परिदृश्य में सुधार परिलक्षित हुआ है परन्तु राज्य के क्षेत्र को देखते हुए प्रगति उत्साहजनक नहीं है। कुछ सदस्यों द्वारा बचत राशि से ऋण लेने के बाद भी आर्थिक इकाईयाँ संस्थापित नहीं की गयी है। निष्क्रिय समूहों को सक्रिय करने की आवश्यकता है। राज्य स्तर पर स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम की सामयिक समीक्षा के साथ प्रभावी परिवीक्षण की व्यवस्था अपेक्षित है। क्षेत्रीय कार्य के दौरान एक भी समूह अस्तित्व में नहीं था, जो अंकित करता है कि समूह बनाने की औपचारिकता प्रगति दिखाने के लिए ही की गयी वास्तव में इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया गया।

सारांशतः शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह बनाये जा रहे हैं एवं समूह के सदस्य बी.पी.एल. परिवारों से बनाये जा रहे हैं। सदस्यों द्वारा बचत की जा रही है परन्तु छोटी–छोटी राशि की, समूह द्वारा लेखों का संधारण किया जा रहा है। सदस्यों द्वारा समूह की बचत से अपनी आवश्यकताओं हेतु छोटी–छोटी राशि का ऋण प्राप्त किया जा रहा है परन्तु ऋण उपरान्त भी कम इकाई स्थापित की जा रही है। बैंक से भी ऋण कम मात्रा में लिया जा रहा है। समूह के सदस्यों पर ऋण से रहन–सहन व आय में आशातीत वृद्धि परिलक्षित नहीं हुई है।

———————